www.dhyeyaias.com

मार्च 2021 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारत में मृत्युदण्ड की प्रासंगिकता

बहस का मुद्दा

2 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न : एक संस्थागत समस्या

3 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में बढ़ोत्तरी : एक अवलोकन

4 ऑस्ट्रेलिया बनाम बिग टेक कंपनियाँ

5 सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफार्म का विनियमन

6 प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना : एक परिचय

7 स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

मार्च 2021 | अंक 01

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14

- भारत में मृत्युदण्ड की प्रासंगिकता : बहस का मुद्दा
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न : एक संस्थागत समस्या
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में बढ़ोत्तरी : एक अवलोकन
- ऑस्ट्रेलिया बनाम बिग टेक कंपनियाँ
- सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफार्म का विनियमन
- प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना : एक परिचय
- स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत में मृत्युदण्ड की प्रासंगिकता : बहस का मुद्दा

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम की दयायाचिका की वजह से फांसी की सजा टल गई है। अगर फांसी की सजा शबनम को दी जाती है तो आजादी के बाद भारत में यह पहली बार होगा कि किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। शबनम और सलीम को मृत्युदंड देने से, एक बार फिर यह मुद्दा उभरकर सामने आया है कि अपराधों को रोकने हेतु क्या भारत में मृत्युदंड देना प्रासंगिक है अथवा नहीं?

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क

- किसी भी दण्ड के प्रभाव को इस आधार पर नहीं जाँचा जाना चाहिए कि इसका प्रभाव अपराधियों पर कैसा है, बल्कि इसे जाँचने व परखने का आधार सम्पूर्ण समाज होना चाहिए अर्थात् यदि कोई दण्ड समाज की रक्षा करने व स्थिरता कायम करने में सक्षम है तो उसका व्यवस्था में बना रहना उचित है। जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को सुधार के नाम पर कठोर सजा (यथा- मृत्युदंड इत्यादि) से वंचित किया गया तो अपराध के प्रति समाज में भय कम व्याप्त होगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन की पवित्रता को तभी संरक्षित किया जा सकता है जब इसे अपवित्र करने वालों को आनुपातिक रूप से दण्डित किया जाये।
- मृत्युदंड का प्रावधान प्रतिशोधात्मक न्याय पर आधारित नहीं है बल्कि यह समाज से घृणा दूर करने और समरसता व्याप्त करने का उपबन्ध करता है। संविधान में भी मौलिक अधिकारों (यथा-जीवन का अधिकार इत्यादि) को युक्ति-युक्त निर्बन्धन के साथ उपलब्ध कराया गया है। समाज के हितों को यदि लघुकालिक एवं दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित करना है तो बड़े-बड़े अपराधियों (शबनम और सलीम आदि) या फिर कई लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों (यथा-अजमल कसाब, याकूब मेनन आदि) को मृत्युदंड जैसी सजा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है।
- कार्ल मार्क्स व कांट जैसे चिंतकों का भी मानना है कि किसी अपराध के पीछे व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हितों को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार, उपयोगितावादी दर्शन भी कहता है कि 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' तभी निर्धारित हो सकता है जब समाज अपराधीकरण से मुक्त हो।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क

- विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं और अन्य विद्वानों का मानना है कि मृत्युदंड, सजा के उद्देश्य को सही मायने में पूरा नहीं करता है, अतः इसे हटा देना चाहिए। मृत्युदंड के विपक्ष में उनके द्वारा कई तर्क दिये जाते हैं, जिनकी आगे चर्चा की गई है।
- किसी भी सभ्य समाज में सजा/दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारने का होता है, इसलिए जब उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाता है तो सजा/दण्ड का उपर्युक्त उद्देश्य पूरा नहीं होता है और अपराधी के सुधरने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं।
- पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को जीवित रहने और यथोचित रूप से जीवन-यापन करने हेतु प्रकृति ने अनन्य अधिकार दिए हैं। जीवन के अधिकार का दर्शन कहता है कि यदि मनुष्य किसी को जीवन दे नहीं सकता है तो उसे जीवन को छीनने का भी अधिकार नहीं है।
- जीवन का अधिकार एक ही रूप में छीना जा सकता है, जब आत्मरक्षा का सवाल हो, लेकिन राज्य द्वारा दिया गया मृत्युदंड आत्मरक्षा न होकर, एक प्रकार की सजा है।
- न्याय का पुनर्विचार का सिद्धान्त कहता है कि न्यायालय या अन्य के द्वारा उपलब्ध कराया गया निर्णय अपने आप में अंतिम नहीं होता है, उसमें हमेशा व्याख्या एवं सुधार की गुंजाइश बनी रहती है।
- कुछ विद्वान मृत्युदंड को प्रतिशोधात्मक न्याय (Retributive Justice) की संज्ञा देते हैं और अपराध पर अंकुश लगाने की इसकी प्रभावशीलता को संदेहात्मक मानते हैं। अभी तक ऐसे कोई भी आँकड़े या तथ्य उपलब्ध नहीं हैं जो यह सिद्ध करते हों कि मृत्युदंड जैसे कठोर सजा के प्रावधानों ने समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को कुंद किया हो।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन के अधिकार' की गारण्टी देता है। जीवन का अधिकार, अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है अर्थात् यह सभी अधिकारों को आधार प्रदान करता है। दूसरी ओर दण्ड के सुधारात्मक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मृत्युदंड की व्यवस्था 'जीवन के अधिकार' को समाप्त करने के साथ-साथ मानवीय गरिमा को भी क्षति पहुँचाता है और किसी अपराधी को सुधरने के अवसर से वंचित कर देता है।
- अभी तक किसी भी अध्ययन से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि मृत्युदंड, आजीवन

कारावास से अधिक प्रभावशाली है और हत्या, आतंकवाद, यौन हिंसा एवं अन्य जघन्य अपराधों को रोकने में सक्षम रहा है।

- भारत के संदर्भ में देखा गया है कि मृत्युदंड से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व पिछड़े लोग हुए हैं। अधिकतर सरकार की ओर से कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कैदियों को मृत्युदंड की सजा मिलती है, जबकि इसके विपरीत धनवान व निजी वकीलों की फौज रखने वाले लोगों को न के बराबर मृत्युदंड मिला है।
- मृत्युदंड को निष्पक्ष या तर्कसंगत रूप से नियंत्रित करना लगभग असम्भव है। विभिन्न न्यायाधीशों ने अपनी विचारधारा के अनुसार ही मृत्युदंड पर निर्णय लिया है। यही कारण है कि प्रति एक लाख हत्या के केसों में सिर्फ 5-2 मामलों पर ही मृत्युदंड की सजा पर मुहर लगाई गई है। विभिन्न राष्ट्रपतियों ने भी अपनी विचारधारा के अनुसार ही दया याचिकाओं पर निर्णय लिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृत्युदंड के संबंध में भारत में कोई स्पष्ट नीति न होकर विभिन्न न्यायाधीश व राष्ट्रपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है और ऐसे संवेदनशील मामले में विषयनिष्ठता (Subjectivity) का होना अनुचित है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का मृत्युदंड पर दृष्टिकोण

- अधिकांश देशों ने मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है और कुछ देश इस दिशा में प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कहा गया है कि 'मृत्युदंड के निवारक मूल्य का कोई निर्णायक सबूत नहीं है'।
- संयुक्त राष्ट्र की महासभा (जनरल एसेम्बली) ने सन् 2007, 2008, 2010, 2012 और 2014 में मृत्युदंड के सिद्धान्त के विपरीत गैर बाध्यकारी संकल्पों को पारित किया और सदस्य देशों से आह्वान किया कि वह अपने यहाँ इस तरह की कठोर सजा के कानूनी प्रावधानों का उन्मूलन करें। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, लेकिन दुनिया की 60 प्रतिशत से भी अधिक आबादी उन देशों में रह रही है, जहाँ मौत की सजा अभी भी बरकरार है, यथा- चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान इत्यादि।

मृत्युदंड पर भारतीय परिदृश्य

- हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत, न्यायाधीश मौत की सजा और आजीवन कारावास के बीच चयन कर सकते हैं यानि मृत्युदंड का निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- 1980 में 'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मौत की सजा की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि मृत्युदंड को 'दुर्लभतम' (Rarest of Rare) मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जिसमें हत्या, राजद्रोह एवं अन्य जघन्य अपराध हो सकते हैं।
- दिसम्बर 2012 में दिल्ली में एक युवती के सामूहिक बलात्कार के बाद सन् 2013 में 'भारतीय दंड संहिता' में संशोधन किया गया, जिसमें जघन्य रूप से बलात्कार करने वाले बालिग एवं नाबालिग दोनों के लिए फाँसी का प्रावधान किया गया।
- विधि आयोग ने सन् 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में मृत्युदंड की सजा की नीति उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पायी है। यह कई बार न्यायाधीशों के द्वारा मनमाने एवं गलत तरीके से लागू की गई है।
- वर्तमान में भारत में 'पॉक्सो (POCSO) कानून, 2012' और आईपीसी में संशोधन करके 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

आगे की राह

- मृत्युदंड के विपक्ष में मत रखने वाले अकसर यह दलील देते हैं कि भारत में मृत्युदंड देने की प्रक्रिया को व्यावहारिक धरातल पर उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, जिससे निर्दोष लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस स्थिति में मृत्युदंड की प्रक्रिया के क्रियान्वयन को त्रुटिरहित और मजबूत बनाना होगा न कि मृत्युदंड के प्रावधान को हटा ही देना चाहिए। हालाँकि केन्द्र व विभिन्न राज्य सरकारों और न्यायालय ने इस दिशा में काफी सराहनीय कदम भी उठाये हैं।
- सरकार को मृत्युदंड के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनानी होगी, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों में एकरूपता लाई जा सके। इसके अलावा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ता प्रदान करनी होगी, जिससे कि त्वरित व त्रुटिपूर्ण निर्णय प्राप्त हो सकें। सरकार को जाँच एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए ताकि कोई भी प्राधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्ति को फँसा न सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

प्र. अपराधों को रोकने के लिए मृत्यु दण्ड की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

02 कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न : एक संस्थागत समस्या

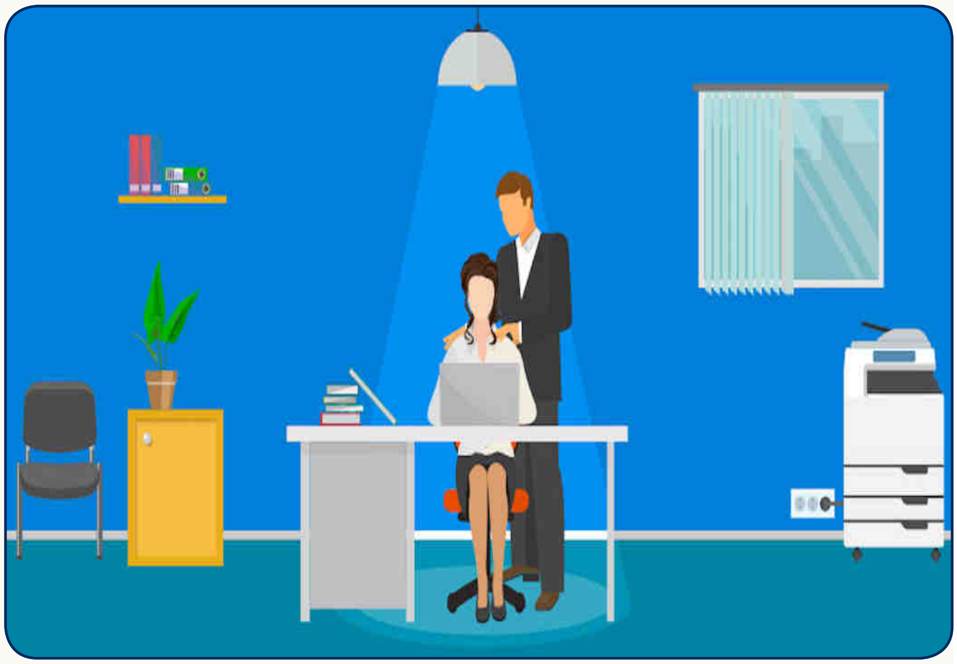

चर्चा का कारण

- हाल ही में पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम.जे. अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले से प्रिया रमानी को बरी करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि गरिमा के अधिकार की कीमत पर प्रतिष्ठा के अधिकार को संरक्षित नहीं किया जा सकता साथ ही, अदालत ने कहा कि एक महिला को दशकों बाद भी किसी मंच पर अपनी शिकायत रखने का अधिकार है।
- गौरतलब है कि प्रिया रमानी ने साल 2018 में '#मीटू' मुहिम के तहत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे जिसे लेकर अक्टूबर 2018 को एम.जे. अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि (Defamation) का मामला दर्ज कराया था। हालाँकि ये फैसला मानहानि से जुड़ा है, परन्तु इस फैसले को कई जानकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून से जोड़ कर देख रहे हैं।

न्यायालय के फैसले का निहितार्थ

- न्यायालय ने कहा कि समाज को समझना होगा कि यौन शोषण और उत्पीड़न का पीड़ित पर क्या असर होता है। यौन उत्पीड़न, पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है।
- उत्पीड़न करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न कर सकता है।
- यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला को अवमानना के आपराधिक मुकदमें में इसलिए नहीं सजा हो जा सकती कि मामला किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 'जीवन की स्वतंत्रता' और 'किसी की गरिमा का अधिकार' तथा अनुच्छेद 14 के समक्ष समानता और समान संरक्षण से जुड़ा हुआ है।
- कई मामलों में देखा गया है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाली महिलाओं का अविश्वास किया जाता है, और अकसर उनसे पूछा जाता है कि 'आपके पास क्या सबूत है?'
- महिलाओं के सामने आने वाले अन्य सवालों में शामिल हैं, 'ऐसा होने के तुरंत बाद आपने क्यों नहीं बोला?' और 'आपने आपराधिक मामला दर्ज करने के बजाय अपनी बातें बताने के लिए मीडिया या सोशल मीडिया का प्रयोग क्यों किया?' । प्रिया रमानी मामला इन सवालों का कुछ हद तक जवाब देता है। उच्च न्यायालय के फैसले ने समाज को यह संदेश किया है कि कभी-कभी यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात के कारण वर्षों तक किसी से कुछ नहीं बोल पाता है। चूंकि कई बार यौन उत्पीड़न अकेले में होता है, इसलिए महिलाओं की गवाही को असत्य या मानहानि के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। चूंकि महिलाएं अपने साथ हुए उत्पीड़न को साबित करने में गवाहों को पेश नहीं कर पाती हैं,ऐसे में इसका अर्थ यह नहीं है कि वे इस प्रकार के दुर्व्यवहार को सहन करें।
- कई मामलों में देखा गया है कि यौन हिंसा के आरोपी (विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के पुरुष) महिलाओं पर अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। जब महिला किसी 'सम्मानजनक' (respectable) और प्रसिद्ध पुरुष (celebrated men) के खिलाफ न्याय चाहती है तो आरोपी के प्रभावशाली मित्र नाराज होने के साथ शिकायतकर्ता (और उनके नारीवादी समर्थकों) को ऐसे पुरुषों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाते हैं। इसके अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र महिलाओं की रक्षा करने या न्याय प्रदान करने में व्यवस्थित रूप से विफल रहे हैं, और इसलिए आत्मरक्षा के रूप में मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपनी बात को साझा करना न्यायोचित है। प्रिया रमानी मामले में दिया गया यह व्यावहारिक तर्क संभवतः फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और कीमती हिस्सा है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न

- प्रिया रमानी फैसला इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीड़ित को चुप कराने के लिए मानहानि का मुकदमा करना प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो हम अभी भी हर महिला को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए ठोस प्रयास नहीं कर पाए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन यौन उत्पीड़न व्यक्तियों के बजाय संस्थानों की समस्या है। दुनिया भर में, नियोक्ता महिला

श्रमिकों को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए यौन उत्पीड़न करते हैं।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के अनुसार, 'कार्यस्थल या कार्यालय परिसर' में IPC की धारा 509 (किसी शब्द, इशारे या किसी कृत्य द्वारा एक महिला के शील या सम्मान को चोट पहुँचाना) के तहत वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 479 और 401 मामले दर्ज किये गये थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में सार्वजनिक स्थानों, शेल्टर होम और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न के कुल 20,962 मामले दर्ज किये गए।
- भारत और बांग्लादेश में, कम से कम 60 प्रतिशत कपड़ा कारखाने के श्रमिक कार्य के दौरान यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। चीन के ग्वांगझू में, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 70 प्रतिशत महिला फैक्ट्री के कर्मचारियों का काम के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया जिस कारण 15 प्रतिशत महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी। कई अध्ययनों ने स्थापित किया है कि यह भारत के लिए भी उतना ही सच है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून

- 1997 में एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने "विशाखा दिशानिर्देश" निर्धारित किए। इसके जरिए नियोक्ता के लिए महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाना और समाधान, निपटारे या अभियोजन के लिए कार्यप्रणाली की व्यवस्था करना अनिवार्य बना दिया गया।
- 2013 में, भारत ने औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम लागू किया। यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्र पर भी लागू होता है। यह अधिनियम 9 दिसंबर, 2013 को प्रभाव में आया था।
- वर्ष 2020 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (Group of Ministers- GoM) ने सिफारिशों को अंतिम रूप दिया था। इन सिफारिशों के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) में नए प्रावधानों को शामिल करने की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय वर्ष 1860 में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई IPC का पुनरीक्षण करने के लिये एक योजना पर काम कर रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 और 15 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का हनन है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और साथ ही उन्हें किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है।
- 'महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई महिला जाँच संपन्न होने के बाद दोषी के खिलाफ IPC के तहत शिकायत दर्ज करना चाहती है तो नियोक्ता द्वारा महिला को सहायता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोक्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान बनाम विशाखा केस 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले को परिभाषित किया है। जिसके अनुसार किसी भी तरह का अस्वीकृत यौन निर्धारित व्यवहार (प्रत्यक्ष या दबाब में) शारीरिक सम्पर्क या प्रस्ताव, यौन अनुग्रह हेतु मांग या प्रार्थना, अश्लील व अभद्र टिप्पणी, अश्लील साहित्य या यौन प्रकृति के अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण को यौन उत्पीड़न में शामिल किया गया है।

आगे की राह

- अदालत का यह निर्णय महिला-सशक्तिकरण की तरफ एक बढ़ता कदम है। परन्तु ,वास्तव में महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को सक्षम होना होगा। हिम्मत, वीरता और साहस को उसे अपने महत्वपूर्ण गुण बनाना होगा।
- इसके अलावा प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना होगा। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक दिशा-निर्देश भी जारी किया गया है जिसके अनुसार, यह जरूरी है कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे और सदस्यों के तौर पर उसमें पचास फीसदी महिलाएं ही शामिल हों, साथ ही, समिति के सदस्यों में से एक महिला कल्याण समूह से भी हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्थायी कर्मचारी हैं या नहीं।
- हमें यौन उत्पीड़न से संघर्ष करने वाली महिला श्रमिकों को अधिक समर्थन और ध्यान देने की आवश्यकता है।
- उच्च न्यायालय के फैसले से साफ हो जाता है कि भविष्य में अगर कोई महिला किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत करती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायालय के इस फैसले से ये उम्मीद की जा सकती है कि यौन शोषण की शिकार महिलाओं का मनोबल कुछ बढ़ेगा और वो ऐसे मामलों को अदालत में ले जाने की हिम्मत कर सकेंगी।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न समाज की विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। टिप्पणी कीजिए।

03 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केन्द्रीय बजट में बढ़ोत्तरी : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने को लेकर पूरी दुनिया की सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने केन्द्रीय बजट 2021-2022 के स्वास्थ्य बजट में इजाफा किया है। स्वास्थ्य बजट के लिए बीते साल के 94 हजार करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 2.38 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम कर रही केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए खर्च होने वाले 35 हजार करोड़ को भी इसमें सम्मिलित किया है। इस प्रकार स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 137 फीसदी बढ़ गया है।

परिचय

- भारत सरकार द्वारा घोषित 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' पैकेजों के संदर्भ में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PMANSBY) को लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं (Production-Linked Incentive schemes) के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।
- स्वदेशी वैक्सीन के विकास और परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन कोविड सुरक्षा' (Mission COVID Suraksha) भी शुरू की गई है। COVID-19 वैक्सीन के लिए कम से कम 92 देशों ने भारत से संपर्क किया है, इस प्रकार देश की साख दुनिया के वैक्सीन हब के रूप में विकसित हुई है। इसके अलावा, COVID-19 संकट के दौरान गरीबों और कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने 800 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री 'गरीब कल्याण पैकेज' की शुरुआत की। देश भर में सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंच की सुविधा के लिए, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) योजना को 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है, इससे 690 मिलियन लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

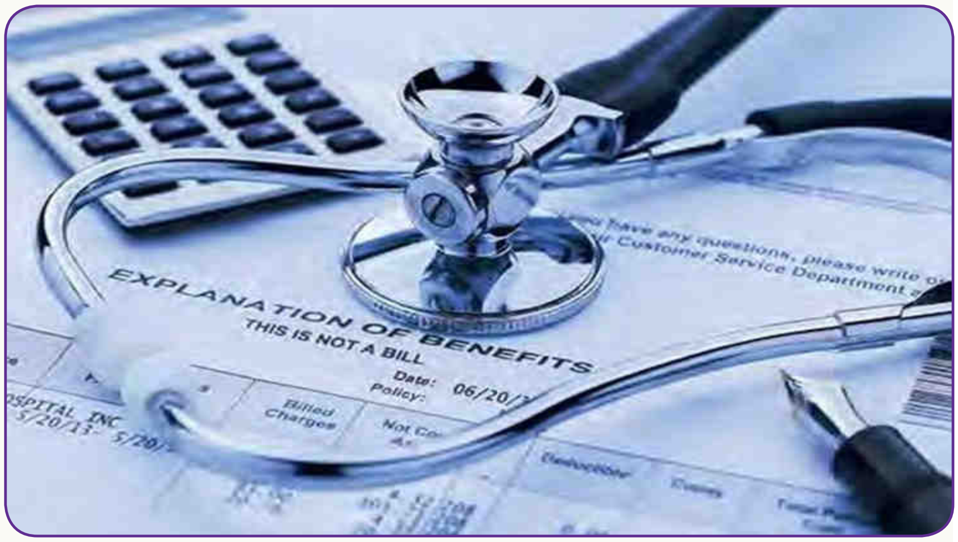

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy), 2017 में स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के बीच घनिष्ठ संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह माना गया है कि स्वास्थ्य संकेतकों में प्रगति के लिए पानी, स्वच्छता और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच में सुधार करना बेहद अहम है।

स्वच्छ जल एवं टीकाकरण

- केन्द्रीय बजट के अनुसार जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रत्येक 100 में से लगभग एक भारतीय बच्चा दस्त या निमोनिया के कारण अपना पांचवां जन्मदिन नहीं मना पाता है। अस्वच्छ जल और अस्वच्छता का सीधा संबंध दस्त, पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों से है। इसके अतिरिक्त आर्सेनिक जैसे भारी धातुओं से दूषित पानी दिल की बीमारियों और कैंसर के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जल जीवन मिशन का लॉन्च किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है।
- केन्द्रीय बजट 2021 में देश भर में न्यूमोकोकल टीकाकरण (pneumococcal vaccine- फेफड़ों के संक्रमण (निमोनिया) को रोकने की विधि है जो न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के कारण होता है।) के कवरेज का विस्तार किया गया है। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का एक बड़ा कारक है। एक बार सार्वभौमिक रूप से विकसित होने के बाद, यह स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन सालाना 50,000 बच्चों की जान बचा सकती है।
- बजट में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के साथ नई बीमारियों पर भी फोकस किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग होगा।
- बजट में घोषणा की गई है कि 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इंटिग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को और मजबूत किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। इसके अलावा देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक क्षेत्रीय रिसर्च सेंटर के अलावा 4 वायरोलॉजी लैब्स भी खोले जाएंगे।
- ग्रामीण इलाकों में मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा देश के 32 एयरपोर्ट्स, 11 बंदरगाहों पर पर ऑपरेशनल हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए जाएंगे।

सभी पब्लिक हेल्थ लैब्स को जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है।

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (शुरुआत-23 सितबंर, 2018) के बजट में इस साल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिए पिछले साल की तरह ही 6,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि PM-JAY को अपनाने वाले राज्यों में 2015-16 और 2019-20 के बीच शिशु मृत्यु दर में 20% की गिरावट हो सकती है जबकि इस योजना को नहीं अपनाने वाले राज्यों में शिशु मृत्यु दर में 12% की बढ़त देखी जा सकती है। इसलिए इस अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना को सभी राज्यों को अपनाने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद को बढ़ावा देना

- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए आयुष मंत्रालय को दिये जाने वाले बजट में लगभग 40% बढ़ोतरी की गयी है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार के छह बड़े अस्पताल और शोध संस्थानों के बजट में भी बढ़ोत्तरी हुई है। कोविड-19 महामारी ने लोगों के व्यवहारिक बदलाव को बदल कर रख दिया है। ऐसे में आयुर्वेद और योग के साथ-साथ एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल विशेष रूप से तनाव में कमी और पुरानी बीमारियों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्यों के स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी जरूरी

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts), 2017 में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च का 66% राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), 2017 और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए स्वास्थ्य बजट में कम से कम 8% तक की बढ़ोतरी करने की अनुशंसा की गयी है, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य 2022 तक अपने स्वास्थ्य बजट में कम से कम 8% तक की बढ़ोतरी करें।

विश्लेषण

- आर्थिक सर्वेक्षण ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी व्यय के घटते स्तर के संदर्भ में अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया और इससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अनुपात में सरकारी व्यय तीन प्रतिशत से कम रहा है। इस संबंध और इस अनुपात में कोई भी सुधार, आउट ऑफ पॉकेट खर्च (Out of Pocket, OOP) यानी फुटकर खर्च में भारी गिरावट का कारण बनेगा। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च में वृद्धि को अगर सकल घरेलू उत्पाद के तीन फीसदी तक कर दिया जाता है, तो इसके चलते फुटकर खर्च में कमी आएगी, जो वर्तमान के 60 फीसदी से घटकर लगभग 30 फीसदी तक कम हो सकता है। इसके चलते भारतीय घरों में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कटौती हो सकती है और अन्य जरूरतों पर खर्च के लिए अधिक धनराशि मुक्त हो सकती है। इस के चलते घरेलू स्तर पर लोगों को बाहरी ऋणों से मुक्ति मिल सकती है और वह ऋण-चक्र से मुक्त हो सकते हैं।
- बजट दस्तावेजों के मुताबिक, बजट 2020 और बजट 2021 के अनुमानों के बीच, केवल 10.5 फीसद की वृद्धि हुई है, जब की जमीनी स्तर पर आवश्यकताएं काफी हद तक बढ़ी हैं। इस वर्ष आवंटित राशि यानी 74,602 करोड़ रुपए वास्तव में पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 10 फीसदी कम है, जो पिछले साल 82,445 करोड़ रुपए थी। कोविड-19 से निपटने के लिए जरूरी टीकाकरण अभियान के लिए अतिरिक्त धनराशि तय की गई है, और इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि पिछले वर्ष की तरह, आवंटन को जरूरत के हिसाब से संशोधित किया जाएगा। हालांकि, अब भी जब महामारी का खतरा बहुत हद तक मौजूद है, तो बजट दस्तावेज इस दिशा में सरकार के इरादों की कमी को दर्शाता है और इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्यों को इस बोझ को खुद ही वहन करना होगा।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित किया जाना है। इसके तहत 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वैलनेस केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही देश के 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करना शामिल है, लेकिन इस बजट में इसके लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

आगे की राह

- राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनका स्तर सुधारने की जरूरत है, क्योकि वे पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बोझ तले दबे हैं। इसके अतिरिक्त भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक निवेश की जरूरत है।
- असंगत स्वास्थ्य देखभाल, लचर आरोग्य और स्वच्छता, भरोसे की कमी, फंडिंग की चुनौतियां, विनिमय संबंधी अनिश्चितता और सीमित मानव संसाधनों के नतीजतन सतत विकास (एसडीजी) हासिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में कमी लाने और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये सरकार को और प्रयास करना होगा । साथ ही चिकित्सा शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नियम उदार बनाया जाए, जिनसे निवेश आकर्षित हों।
- विश्लेषकों का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, परंतु केंद्रीय बजट 2021-22 ने COVID-19 युग के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में लचीलापन बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्य के एजेंडे के तहत वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक मजबूत नींव रखी है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 137 फीसदी तक बढ़ गया है। बजट में बढ़ोतरी से स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करें।

04 ऑस्ट्रेलिया बनाम बिग टेक कंपनियाँ

चर्चा का कारण

- ऑस्ट्रेलिया सरकार और गूगल, फेसबुक के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग और इसके पेमेंट का मुद्दा अब वैश्विक मुद्दा बन गया है। इसी संदर्भ में हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। मॉरिसन ने प्रधानमंत्री से टेक कंपनियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। गौरतलब है कि दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियों (गूगल एवं फेसबूक) और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच विवाद की वजह एक प्रस्तावित कानून है जो कि टेक कंपनियों और मीडिया संस्थाओं के बीच बाजार में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है।

प्रमुख मुद्दा

- आस्ट्रेलियाई सरकार की नियामक संस्था ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग (एसीसीसी) ने साल 2018 में मीडिया एवं विज्ञापन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी माहौल पर गूगल एवं फेसबुक के असर को लेकर जाँच का आदेश दिया था. संस्था ने पाया कि मीडिया एवं टेक कंपनियों के बीच शक्ति का असंतुलन है. इस आधार पर संस्था ने एक कानून बनाने की सिफारिश की जो कि दोनों तरह की कंपनियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करेगी. पिछले साल जुलाई महीने में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक नए विधेयक को पेश किया था जिसकी वजह से फेसबुक और गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं देना बंद करने की धमकी दी थी।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य सौदेबाजी संहिता बिल, 2020 (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code Bill, 2020) के अनुसार ळववहसम और फेसबुक को मीडिया कंपनियों के सामग्री एवं समाचार का उपयोग करने के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है। ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी लेबर ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल का समर्थन किया है जिससे सीनेट को मंजूरी के बाद संभवत: जल्द ही कानून बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
- प्रस्तावित कानून एक संगठन के रूप में मीडिया संस्थाओं को टेक कंपनियों से नेगोशिएट करने की ताकत देगा ताकि उस सामग्री की कीमत तय हो सके जो कि टेक कंपनियों की न्यूज फीड और सर्च रिजल्ट्स में नजर आती है। सरकार का तर्क है कि टेक कंपनियों को न्यूज रूम को उनकी पत्रकारिता के लिए उचित कीमत अदा करनी चाहिए। इसके साथ ही ये तर्क भी दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूज इंडस्ट्री के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है क्योंकि मजबूत मीडिया लोकतंत्र की जरूरत है।
- गौरतलब है कि न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया (रुपर्ट मर्डोक के मीडिया घराने की एक कंपनी) जैसी मीडिया कंपनियां ने विज्ञापन से होने वाली आय में दीर्घकालिक कमी आने के बाद सरकार पर दबाव बनाया है कि वह टेक कंपनियों को बातचीत के लिए तैयार करे। ऐसे समय जब मीडिया कंपनियों की कमाई में कमी आ रही है तब गूगल की कमाई में बढ़त देखी जा रही है। साल 2019 में वैश्विक स्तर पर गूगल ने 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है।

फेसबुक एवं गूगल की प्रतिक्रिया

- ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन लोग फेसबुक का प्रयोग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से तकरार के बाद जनवरी में फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में यूजर्स को अपने प्लेटफार्म पर खबरें देखने या साझा करने से रोक दिया था। हालांकि फेसबुक ने घोषणा की है कि अब वह आस्ट्रेलिया में समाचारों को साझा करने पर लगाई गई अपनी पाबंदी हटा लेगा। फेसबुक ने इस बात की पुष्टि की है कि वे प्रस्तावित कानून में संशोधन पर सहमत हो गये हैं, जिसके तहत फेसबुक और गूगल अपने मंच पर पर दिखने वाली ऑस्ट्रेलियाई समाचार सामग्री के लिये भुगतान करेंगे। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सर्च इंजन बंद करने की धमकी दी थी किन्तु अब वह भी मुर्डोक की न्यूज कॉर्प को उसकी सामग्री के लिए पैसे देने के लिए

तैयार है। न्यूज कॉर्प और गूगल तीन साल के अनुबंध के तहत एक सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म विकसित करेंगे। इसके तहत विज्ञापन से होने वाली आय को साझा किया जाएगा और यूट्यूब पर वीडियो जर्नलिज्म में निवेश किया जाएगा।

टेक कंपनियों की रणनीति

- कुछ मीडिया संस्थानों का मानना है कि फेसबुक की योजना यूके (united kingdom) में अपना न्यूज टैब फीचर (2019 से अमेरिका में उपलब्ध) लॉन्च करने की है जिसमें द गार्जियन, द इकोनॉमिस्ट और द इंडिपेंडेंट जैसे समाचार संस्थान की भी हिस्सेदारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, गूगल अपने समाचार मंच 'गूगल न्यूज शोकेस' (Google News Showcase) को प्रारंभ कर रहा है। इन दोनों प्लेटफार्मों का उद्देश्य समाचार आउटलेट्स के साथ भुगतान संधि को औपचारिक बनाना है।
- फ्रांस में प्रकाशकों ने गूगल के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत उन्होंने काम करने की एक व्यवस्था तैयार की है। शुरू में गूगल इसके लिए तैयार नहीं था। बल्कि 2014 में स्पेन के समाचार संगठनों को भी इसी प्रकार रकम चुकाने के लिए वहां कानून बनाया गया था। इस पर गूगल ने स्पेन में अपना 'गूगल न्यूज' सेक्शन ही बंद कर दिया ताकि कमाई में हिस्सा न देना पड़े। हालांकि यूरोपीय देशों में विशेष रूप से इस भुगतान को कॉपीराइट से जोड़ा गया है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कानून लगभग पूरी तरह से समाचार आउटलेट की सौदेबाजी की शक्ति पर केंद्रित है।

टेक कंपनियों पर दबाव की शुरूआत संभव

- ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसके बाद गूगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर खबरों को पेश करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इसके नतीजे दुनियाभर पर पड़ सकते हैं।

भारत में टेक कंपनियों का असर

- मौजूदा दौर में दुनिया में अधिकतर लोग खबरें और विश्लेषण सोशल मीडिया के माध्यम से हासिल करते हैं। 2.80 अरब यूजर के साथ फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली टेक कंपनी है। ताजा आँकड़ों के मुताबिक भारत में इसके सबसे अधिक 32 करोड़ यूजर्स हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहाँ इसके 19 करोड़ यूजर्स हैं। भारत में नीति-निर्माताओं ने अब तक गूगल और फेसबुक जैसे 'मध्यस्थों के प्रभुत्व' पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि समाचार सेवा प्रदाता इन प्लेटफार्मों के बिना ग्राहकों तक नहीं पहुँच सकते हैं।
- वर्ष 2020 के लिए फिक्की-ईवाई (FICCI-EY report) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऑनलाइन समाचार साइटों, पोर्टलों और एग्रीगेटर्स के 300 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। चीन के बाद ऑनलाइन समाचार का उपयोग करने वाला भारत दूसरा बड़ा देश है। साथ ही, भारत में डिजिटल विज्ञापन खर्च दर वर्ष दर 24 फीसद बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2022 तक बढ़कर 51,340 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। डेलीहंट और इनशॉर्ट्स भारत में अन्य प्रमुख समाचार एग्रीगेटर हैं।

आगे की राह

- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत अलग समाचार का बाजार है, जहाँ प्रिंट और टीवी मीडिया अब भी फल-फूल रहा है। स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया हाउस अभी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारत में उद्यमशीलता की ऊर्जा समाचार मीडिया में प्रतिस्पर्धा को बहुत अधिक बल देती है। गूगल और फेसबुक दोनों वीडियो विज्ञापन से होने वाली कमाई से भी भारतीय मीडिया कंपनियों को थोड़े पैसे देते हैं। अभी तक किसी भारतीय मीडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से अपने हिस्से की कमाई में बढ़ोत्तरी की माँग नहीं की है और ना ही भारत सरकार ने इस तरह का कोई संकेत दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह वो भी इस सिलसिले में कोई नया कानून लाना चाहती है।
- टेक्नोलॉजी कंपनियों का न्यूज मीडिया कंपनियों पर हावी होने का मामला हाल के सालों में बढ़ा है, जिससे कई देशों में चिंता जताई गई है। गूगल दुनिया भर में एक प्रमुख सर्च इंजन बन गया है और इसे एक जरूरी सेवा के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी सेवा जिस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सोशल मीडिया को खबरों के सबसे अहम सूत्र के रूप में देखा जाने लगा है। भारत सरकार के लिए या फिर स्थानीय स्टार्ट-अप्स के लिए गूगल को पीछे छोड़ पाना आसान नहीं होगा जो न सिर्फ इस देश के डिजिटल उद्योग पर काफी प्रभाव रखता है और साथ ही साथ अपनी पहुँच लगातार बढ़ा भी रहा है। ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार ऐसा नियामक बनाए जो इन बिग टेक कंपनियों द्वारा एकाधिकार पर नियंत्रण कर सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

Topic:
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखा जाए तो यह रेखांकित होता है कि मीडिया एवं विज्ञापन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी माहौल तभी बनाया जा सकता है जब ऑनलाइन और ऑफलाइन विज्ञापनों के बीच सामंजस्य के साथ एक समन्वयकारी एवं व्यापक दृष्टिकोण हो। टिप्पणी कीजिये।

05 सोशल मीडिया एवं ओटीटी प्लेटफार्म का विनियमन

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 'Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules] 2021 अधिसूचित किए हैं।

प्रमुख बिन्दु

- डिजिटल मीडिया से जुड़ी पारदर्शिता के अभाव, जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आम जनता और हितधारकों के साथ विस्तृत सलाह-मशविरा के बाद, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।
- 2021 के नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश) नियम, 2011 के स्थान पर लाया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए लायी है।
- 2021 के इन नियमों को अंतिम रूप देते समय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय दोनों ने आपस में विस्तृत विचार-विमर्श किया, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि के संबंध में एक सामंजस्यपूर्ण एवं अनुकूल निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म का महत्व

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया है जो प्रौद्योगिकी की ताकत के बल पर आम भारतीयों को सशक्त बना रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, इत्यादि के व्यापक प्रसार ने कई सोशल मीडिया व ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्मों को भी भारत में अपनी पैठ को मजबूत करने में सक्षम कर दिया है। आम लोग भी इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हैं।
- इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने आम भारतीयों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने, सवाल पूछने, विभिन्न सूचनाओं से अवगत होने और सरकार एवं उसके अधिकारियों की आलोचना करने सहित अपने-अपने विचारों को खुलकर साझा करने में सक्षम बनाया है।

सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्म से संबन्धित चुनौतियाँ

- सोशल मीडिया का प्रसार, एक तरफ नागरिकों को सशक्त बनाता है तो दूसरी तरफ कुछ गंभीर चिंताओं और आशंकाओं को जन्म देता है जो हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गए हैं।
- इन चिंताओं को समय-समय पर, संसद और इसकी समितियों, न्यायिक आदेशों और देश के विभिन्न हिस्सों में सिविल सोसाइटी द्वारा किए गए विचार-विमर्श समेत विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। इस तरह की चिंताओं को दुनिया भर में भी उठाया जाता है और यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।
- फर्जी खबरों के लगातार प्रसार ने कई मीडिया प्लेटफार्मों को तथ्य-जांच तंत्र बनाने के लिए मजबूर किया है। महिलाओं की छेड़छाड़ वाली तस्वीरों और बदला लेने वाली पोर्न से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने महिलाओं की गरिमा के लिए खतरा पैदा किया है।
- कॉरपोरेट प्रतिद्वंद्विता को अनैतिक तरीके से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग, व्यापार जगत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। प्लेटफार्मों के माध्यम से अपमानजनक भाषा, अनर्गल और अश्लील सामग्री तथा धार्मिक भावनाओं के प्रति असम्मानजनक विचारों के इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ रहीं हैं।
- पिछले कई वर्षों से, अपराधियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं। इनमें शामिल हैं- आतंकवादियों की भर्ती के लिए लोगों को उकसाना, अश्लील सामग्री का प्रसार, असहिष्णुता फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना आदि।
- भारत में यह पाया गया कि वर्तमान में कोई मजबूत शिकायत तंत्र नहीं है, जिसमें सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों के सामान्य उपयोगकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और निश्चित समय-सीमा के भीतर इसका समाधान कर सकते हैं।

- पारदर्शिता की कमी और मजबूत शिकायत समाधान तंत्र की अनुपस्थिति ने उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के मनमाने रवैये पर निर्भर कर दिया है।
- अकसर देखा जाता है कि एक उपयोगकर्ता जिसने सोशल मीडिया प्रोफाइल विकसित करने में अपना समय, ऊर्जा और पैसा खर्च किया है, उसकी प्रोफाइल को प्लेटफार्म द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। उसे सुनवाई का मौका भी नहीं दिया जाता और ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता के पास कोई उपाय नहीं बचता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की मुख्य विशेषताएं

- **शिकायत निवारण तंत्र:** सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों से मिली शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- **उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना:** सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म को ऐसे कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर इसे हटाना होगा या उस तक पहुंच निष्क्रिय करनी होगी, जो किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्रों को उजागर करते हों, किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र या यौन क्रिया में दिखाते हों या बदली गई छवियों सहित छद्मरूप में दिखाए गए हों। ऐसी शिकायत या तो किसी व्यक्ति द्वारा या उनकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई जा सकती है।
- **स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र:** स्वैच्छिक रूप से अपने खातों का सत्यापन कराने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं को अपने खातों के सत्यापन के लिए एक उचित तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- **गैर कानूनी जानकारी को हटाना:** सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म द्वारा ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो भारत की सम्प्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक आदेश, दूसरे देशों के साथ मित्रवत संबंधों आदि के हित के संबंध में किसी कानून के तहत निषेध हो।
- **ऑनलाइन समाचारों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता:** यह संहिता ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया इकाइयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश सुझाती है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से संबंधित डिजिटल मीडिया आचार संहिता का पालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा।
- **कंटेंट का स्व वर्गीकरण:** ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पांच उम्र आधारित श्रेणियों- यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7+, यू/ए 13+, यू/ए 16+, और ए (वयस्क) के आधार पर कंटेंट का खुद ही वर्गीकरण करना होगा।
- **डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों द्वारा स्व-विनियमन:** डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों को भारत में एक शिकायत समाधान अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो खुद को मिली शिकायतों के समाधान के लिए जवाबदेह होगा। अधिकारी खुद को मिली हर शिकायत पर 15 दिन के भीतर फैसला लेगा।
- **स्व-विनियमित संस्था:** डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों की एक या ज्यादा स्व-विनियामकीय संस्थाएं हो सकती हैं। ऐसी संस्था की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा और इसमें छह से ज्यादा सदस्य होंगे। इस संस्था को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा।
- **निगरानी तंत्र:** डिजिटल मीडिया पर समाचार के प्रशासकों हेतु भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय एक निरीक्षण तंत्र विकसित करेगा। यह आचार संहिताओं सहित स्व-विनियमित संस्थाओं के लिए एक चार्टर का प्रकाशन करेगा। यह शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन करेगा।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला इंटरनेट समाज है और यहाँ सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा अपना संचालन करने, कारोबार करने और इसके साथ ही मुनाफा कमाने के भरपूर अवसर भी हैं। हालांकि, इन कंपनियों को भारत के संविधान और कानूनों के प्रति जवाबदेहिता भी आवश्यक है।
- वर्ष 2021 के ये नियम एक उदार स्व नियामकीय व्यवस्था और एक आचार संहिता व समाचार प्रकाशकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए तीन स्तरीय समाधान तंत्र स्थापित करते हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. ओटीटी का संक्षिप्त परिचय देते हुए सोशल मीडिया एवं ओटीटी से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र करें।

06 प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना : एक परिचय

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति (National Migrant Labour Policy) के मसौदे को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है।

परिचय

- नीति आयोग (NITI Aayog) ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) तैयार करने हेतु एक उप-समूह का गठन किया था।
- नीति आयोग द्वारा गठित इस उप-समूह में नीति आयोग के सदस्यों के अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त, इसमें भारत के प्रवासी श्रमिकों विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन भी शामिल थे।
- इस उप-समूह को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया था।
- इस उप-समूह द्वारा तैयार, राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति (National Migrant Labour Policy) के मसौदे को हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है।
- एक सरकारी अनुमान के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों से लगभग 10 मिलियन प्रवासन हुए, जिनमें अधिकतर प्रवासी श्रमिक ही थे।
- इस पलायन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे। प्रवासी श्रमिकों की समस्या के निदान तथा भविष्य के संकट से रक्षा हेतु नीति आयोग द्वारा उक्त राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा बनाया गया है।

प्रवासी श्रमिक

- एक प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो या तो अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं।
- भारत में प्रवासन के पैटर्न को राज्य स्तर पर देखें तो यह अंतर्राज्यीय और आंतरिक-राज्य दोनों ही प्रकार से होता है। इसके अतिरिक्त, भारत में प्रवासन ग्रामीण-शहरी, शहरी-ग्रामीण, शहरी-शहरी और ग्रामीण-ग्रामीण भी होता है।
- भारत के आंतरिक प्रवासन में अधिकतर अकुशल श्रमिक ही प्रवास करते हैं। हालांकि प्रवासन एक वैश्विक घटना भी है, इसमें प्रवासन एक-देश से दूसरे-देश में होता है।

कोविड-19 महामारी का प्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव

- कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, तथाकथित स्मार्ट सिटीज में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों को भिन्न-भिन्न संकटो का सामना करना पड़ा था।
- कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने-अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई थी।
- इस दौरान सभी राज्य अपने -अपने नागरिको के रक्षण में लगे रहे, परन्तु प्रवासी श्रमिकों को अपने कार्यस्थल वाले राज्य में सुविधाएं नहीं मिल सकीं; क्योंकि प्रवासी श्रमिक सामान्यत: जिस राज्य में काम करता है उस राज्य का निवासी नहीं होता, अत: वह भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित हो गया।
- अपने कार्यस्थल से अपने निवास स्थल तक आने में प्रवासी श्रमिकों के सम्मुख कई विषम परिस्थितियां आई। श्रमिक परिवारों ने मीलो का सफर पैदल तंय किया। मार्ग में भोजन तथा जल का अभाव उन पर दोहरा संकट उत्पन्न कर रहा था।
- कोरोना प्रसार प्रारम्भ होने के समय कई श्रमिक नौकरियां छोड़कर प्रवास कर चुके हैं। पुन: अनलॉक की स्थिति में उनपर आजीविका संकट उत्पन्न हो गया।
- विदेश में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की स्थिति कोरोना काल में और अधिक सुभेद्य हो गई थी।
- इन समस्याओं के साथ ही प्रवासी श्रमिक बलात श्रम, कार्यस्थल पर शोषण, न्यून वेतन जैसी कई समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। ये समस्याएं यह स्पष्ट करती हैं कि प्रवासी श्रमिकों के लिए अलग नीति आवश्यक है।

राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा

- राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति (National Migrant Labour Policy) का मसौदा दो दृष्टिकोणों पर आधारित है:
- **प्रथम दृष्टिकोण:** राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का पहला दृष्टिकोण नकद हस्तांतरण, विशेष कोटा और आरक्षण से सम्बंधित है।
- **दूसरा दृष्टिकोण:** राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का दूसरा दृष्टिकोण संस्थागत कमियों को दूर करने के प्रयास पार आधारित है।
- इस प्रकार राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिकार आधारित अप्रोच को बढ़ावा देती है।
- यह ड्राफ्ट पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों को उच्च प्रवास क्षेत्रों में प्रवास संसाधन केंद्र के निर्माण की अनुशंसा हेतु कहता है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इन केंद्रों में कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है।
- यह मसौदा शिक्षा मंत्रालय को प्रवासी बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित करने की नीति के लिए कहता है।
- यह मसौदा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शहरों में प्रवासियों के लिए रैन बसेरों, मौसमी आवासो से सम्बंधित मुद्दों को हल करने की अनुशंसा करता है।
- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और श्रम मंत्रालय को प्रवासी श्रमिकों के लिए तस्करी, न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन, और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं के लिए शिकायत निवारण कक्ष और फास्ट ट्रैक कानूनी प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए।

राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति की आवश्यकता

- 2019 में प्रवासी श्रमिकों के लिए कानूनी संरचना और दक्षता विकास संबंधी पहल

सहित अन्य मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए विदेशी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी ने बताया था कि भारत में प्रवास से संबंधित कोई नीति नहीं है। इससे भारत अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार में अपने नागरिकों की क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाता।

- श्रमिकों से सम्बंधित 2017 की रिपोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए विशिष्ट सुरक्षा कानून को अनावश्यक बताया था। यह रिपोर्ट प्रवासी श्रमिकों को अन्य श्रमिकों के साथ रखने की पक्षधर थी जिससे किसी भी प्रकार की योजनाओ को एक विस्तृत आयाम प्राप्त हो सके।
- रिपोर्ट में द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट-1979 की सीमाओं पर चर्चा की गई, जिसका अधिनियमन गैर-भेदभावपूर्ण वेतन, यात्रा और विस्थापन भत्ते, और उपयुक्त कार्य स्थितियों के लिए अपने अधिकार की रक्षा करके ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए किया गया था। हालाँकि यह कानून मात्र ठेकेदारों से अन्य राज्य के श्रमिकों की रक्षण हेतु निर्मित किया गया था।
- 2017 की रिपोर्ट ने देश के असंगठित क्षेत्र के आकार को देखते हुए द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट- 1979 के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। इसने सभी श्रमिकों के लिए एक व्यापक कानून बनाने का आह्वान किया, जो सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए विधिक आधार तैयार करेगा। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग द्वारा 2007 की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप था।
- परन्तु 2019 में कोरोना संकट ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य श्रमिक तथा प्रवासी श्रमिक दो भिन्न वर्ग हैं तथा कुछ स्थितियों इन दोनों वर्गों के लिए में अलग विधान की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति मसौदे के लाभ

- नीति आयोग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति के मसौदे के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं-
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में क्षमता का पूर्ण उपयोग होगा।
- इस ड्रॉफ्ट में अधिकार आधारित अप्रोच को बढ़ावा देने पर प्रवासी श्रमिकों में विश्वास घाटे में कमी आएगी जो राष्ट्र की एकता को बढ़ाने में सहायक होगा।
- यह कोरोना जैसे संकटो के समय में प्रवासी श्रमिकों की सुभेद्यता को कम करेगा।
- इस ड्राफ्ट के उपरान्त प्रवासी श्रमिकों का समावेशी विकास संभव है जो आगे चलकर असमानता को कम करेगा।

अन्य सरकारी प्रयास

- भारत सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बजट 2021-22 में कई उपाय किए हैं।
- बजट 2021-22 में कमजोर वर्गों के लिए किए गए उपायों के अनुपालन में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है।
- इसके अलावा, इस बजट में मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है।
- भारत सरकार ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की है। उसके बाद में लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन का दावा कर सकते हैं।
- भारत सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजन के लिए 20 जून, 2020 को 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' का शुभारंभ किया गया है।
- उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए एक अनूठी पहल 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान' की परिकल्पना की है जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। यह अभियान रोजगार प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए औद्योगिक संघों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर विशेष रूप से केंद्रित है।
- भारत सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों को चार श्रम कोडों में संहिताबद्ध किया है। इससे सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित कामगारों तक पहुंचेंगे।
- इन श्रम कोडों में न्यूनतम वेतन सभी श्रेणी के कामगारों पर लागू होंगे और वह सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आएंगे।

आगे की राह

- वर्तमान में भारत में प्रवासी श्रमिक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस संबंध में नीति आयोग द्वारा निर्मित राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा अपने आप में एक उल्लेखनीय प्रयास है।
- यह मसौदा प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को एक विधिक आधार प्रस्तुत करता है तथा प्रवासी श्रमिकों के लक्षित कल्याण को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- अतः सरकार को प्रवासी श्रमिकों के संबंध में उपयुक्त नीति को लाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

प्र. राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति मसौदे के लाभों को रेखांकित करते हुए प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

07 स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। केंद्र वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, वित्त आयोग का यह अनुदान वर्ष 2021-26 अवधि के लिए है। वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार से स्थानीय सरकारों के लिए 4,36,361 करोड़ रुपये की अनुदान राशि की सिफारिश की है।
- ध्यावत है कि यह अनुदान 2015-20 की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है।

परिचय

- 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में स्थानीय सरकारों ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं जमीनी स्तर पर लोगों को सड़क, पानी, स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे में स्थानीय सरकारों को वित्त की और आवश्यकता हैं। ऐसे में स्थानीय सरकारों को वित्त की और आवश्यकता है।
- भारत में 2017 में कुल 2, 62, 771 निर्वाचित ग्रामीण पंचायतें और 4,657 शहरी निकाय थे। भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लगभग 70 प्रतिशत इन पंचायतों के माध्यम से खर्च होता है, जो लगभग दो लाख करोड़ रुपए का होता है।
- वित्त आयोग की नई सिफारिशों के मुताबिक कुल राशि में से 2, 36, 805 करोड़ रुपए ग्रामीण पंचायतों और 1, 21, 055 करोड़ शहरी नगर पालिकाओं के लिए हैं।

वित्त आयोग

- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। बता दें भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था।

- अगर वित्त आयोग के कामों पर नजर डालें तो इसमें शामिल हैं -
  - केंद्र और राज्य के मध्य करों से होने वाली आय के वितरण की सिफारिश करना
  - राज्यों के लिए अनुदानों की सिफारिश करना
  - स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाना
  - राष्ट्रपति को वित्त आयोग के सीमा क्षेत्र में निर्दिष्ट किसी विषय पर सलाह देना
- गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर 2017 को एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक निर्धारित किया गया है। इस वित्त आयोग ने आय विस्थापन, वन आवरण, कर प्रयास, जनांकिकीय प्रदर्शन, जनसंख्या और क्षेत्रफल को केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का आधार बनाया है।

स्थानीय निकायों से सम्बंधित 15 वें वित्त आयोग की अन्य सिफारिशें

- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए नगरपालिका की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि शहरी स्थानीय निकायों के लिये अनुदान केवल उन शहरों/कस्बों के लिये प्रस्तावित है, जिनकी आबादी दस लाख या उससे कम है।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 100% अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड (MCF) के के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- परन्तु सभी स्थानीय सरकारों के लिए जनसंख्या पर 90 प्रतिशत भार और क्षेत्र पर 10 प्रतिशत भार के साथ यह चौदहवें वित्त आयोग के समान ही है।
- 15 वें वित्त आयोग में छावनी बोर्डों के अलावा ग्रामीण पंचायतों के सभी स्तरों और अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को भी शामिल किया गया है।
- तीसरा विषय शासन और प्रशासनिक सुधार है, जिसके तहत आयोग ने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के लिये अनुदान की सिफारिश की है।
- 2011 में, 377 मिलियन की कुल शहरी आबादी में से 61 प्रतिशत शहरी समुदाय (यूएएस) में रहते थे।

- 15वें वित्त आयोग ने शहरों में वायु गुणवत्ता, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जटिल चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- इस संदर्भ में 2021-26 के लिए, 38,196 करोड़ रुपये का मिलियन-प्लस चैलेंज फंड निर्धारित किया गया है, जिसे मिलियन-प्लस शहरों द्वारा केवल उनकी वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के माध्यम से और पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरे का प्रबंधन के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क को पूरा किया जा सकता है।
- स्थानीय सरकारों को अनुदान, शहरी (एक लाख से कम श्रेणी) और ग्रामीण दोनों में बुनियादी, मिश्रित होने के साथ-साथ प्रदर्शन अनुदान भी शामिल हैं।
- दोनों के लिए, कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अभी भी अछूता है और इसका इस्तेमाल ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए निहित 29 विषयों और संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 18 विषयों के तहत महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जा सकता है, केवल वेतन और अन्य स्थापना लागत को छोड़कर।
- इसके अलावा पीने का पानी, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए तीस प्रतिशत अनुदान निर्धारित है।
- शेष 30 प्रतिशत प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है जिसमे शामिल है:
  - खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और ग्रामीण निकायों के लिए मानव उत्सर्जन और मल कीचड़ प्रबंधन शामिल हैं।
  - पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए शहरी स्थानीय निकायों (एक लाख से कम श्रेणी) के लिए स्वच्छता (ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंधन सहित) में स्टार रेटिंग प्राप्त करना।

चुनौतियाँ

- स्थानीय निकायों की दक्षता, सुचारू कार्यप्रणाली और जवाबदेहिता मुख्यत: बाधित रहती है जिसके मुख्य कारण है:
  - आसानी से सुलभ और समय पर लेखा परीक्षित खातों की कमी,
  - राज्य वित्त आयोगों की समय पर अनुशंसाओं की अनुपस्थिति और उसमें उपयुक्त कार्यवाही,
  - संपत्ति कर राजस्व (विशेषकर यूएलबी में) की अपर्याप्त गतिशीलता।
- हालाँकि अतीत में वित्त आयोगों ने इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था परन्तु इसमें सीमित सफलता ही हासिल हुई थी।
- देश के समग्र विकास में स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होता है। इसलिये यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होता है। 1993 में भारत सरकार ने शासन के विकेंद्रीकृत मॉडल को अपनाने तथा भागीदारी एवं समावेशन को मजबूत करने के लिये 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित किया, लेकिन चार दशक बाद भी पंचायती राज संस्थाएं अपने लक्ष्य को पूर्णत: प्राप्त नहीं कर सकी है।

आगे की राह

- उम्मीद है, अगले पांच वर्षों में, संघ, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच एक साझेदारी के माध्यम से, सहकारी संघवाद की भावना में, ये सिफारिशें और नवाचार भारत में स्थानीय सरकारों की जवाबदेही और प्रभावशीलता में प्रगति को उत्प्रेरित करेंगे।
- स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन के सफल क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भी अहम भूमिका है। राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय स्वशासन के तीन एफ यथा-फंक्शन, फंक्शनरीज तथा फण्ड के क्रियान्वयन में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
- GST लागू होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली कई करें अब समाप्त हो गई हैं। सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले इन करों की भरपाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संपत्ति कर का योगदान 0.2% ही है जबकि ओईसीडी ग्रुप के देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के ससमय लेखा और जबाबदेही को महत्वपूर्ण माना है।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. पंचायतों और नगरपालिका निकायों को निधियों के हस्तांतरण के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए अभिनव दृष्टिकोण की संक्षेप में चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया।

2. मुख्य बिंदु

- यह टीकाकरण 29 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के 250 पूर्व चिह्नित जिलों/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।
- इसे कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण में आई कमी को पूरा करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोविड-19 के दौरान टीके की खुराक से वंचित रह गए बाहरी प्रदेशों के लाभार्थियों और जिन क्षेत्रों तक पहुंचने में परेशानी हुई,उन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके अलावा, आईएमआई 3.0 के साथ इससे सम्बंधित पोर्टल भी लॉन्च किया गया और इसके लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गये हैं।
- आईएमआई 3.0 के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जिलों को कम जोखिम वाले 313,मध्यम जोखिम वाले 152 और सबसे ज्यादा जोखिम वाले 250 जिलों में वर्गीकृत किया गया है।

3. मिशन इन्द्रधनुष

- वैसे तो भारत में विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया, जिसे 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को 'मिशन इन्द्रधनुष' की शुरुआत की थी।
- इस मिशन में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिजीज (वीपीडी) के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया। इसमें काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, मेनिनजाइटिस, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, रोटावायरस वैक्सीन, जापानी इंसेफेलाइटिस, रुबेला (MR) और न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV) शामिल हैं।

4. गहन मिशन इन्द्रधनुष 1.0

- इस मिशन की शुरुआत 8 अक्टूबर, 2017 में की गयी ,इसका लक्ष्य दो वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचना है, जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया है साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण में तेजी लाना है।
- इसके अलावा शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया था जो मिशन इन्द्रधनुष के तहत कवर नहीं किये गये थे।

5. गहन मिशन इन्द्रधनुष 2.0

- इसमें 27 राज्यों के कुल 272 जिलों में टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था।
- इस विशेष अभियान के तहत, दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने का प्रयास किया गया था।

6. आगे की राह

- टीकाकरण गतिविधियों के दौरान कोविड से बचाव संबंधी नियमों (सीएबी) के पालन पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

02 करलापट वन्यजीव अभयारण्य

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी जिले के करलापट वन्यजीव अभयारण्य (Karlapat Wildlife Sanctuary) में पिछले कुछ दिनों में छह हाथियों की मौत हो गई है।

2. प्रमुख बिन्दु

- ओडिशा के कालाहांडी जिले के करलापट वन्यजीव अभयारण्य में केवल 14 दिनों में छह हाथियों की मौत के बाद, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाएँ।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान, पटनायक ने कालाहांडी के जिला प्रशासन और प्रभागीय वनाधिकारी (Divisional Forest Officer -DFO) को निर्देश दिया कि वे करलापट वन्यजीव अभयारण्य के पास के गांवों में मवेशियों का टीकाकरण सुनिश्चित करें।
- उन्होंने कहा कि अभयारण्य के सभी जल निकायों को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और पानी के नमूनों को परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए।

3. हाथियों की मौत का कारण

- ओडिशा के कालाहांडी जिले के प्रभागीय वनाधिकारी (Divisional Forest Officer -DFO) के मुताबिक, करलापट वन्यजीव अभयारण्य में पिछले कुछ दिनों में हाथियों की मौत का कारण हैमरेज सेप्टिसीमिया (Haemorrhage Septicemia-HS) है।
- हैमरेज सेप्टिसीमिया एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। इस बैक्टीरिया का नाम पेस्टुरेल्ला मल्टीडिडा (Pasteurella multidida) है।
- जब जानवर इस बैक्टीरिया से संक्रमित पानी या मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है।
- यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में भी फैलती है।
- हैमरेज सेप्टिसीमिया में जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिससे गंभीर निमोनिया हो सकता है। यह बीमारी भारत में समान्यतया पर मानसून से पहले और बाद की अवधि में फैलती है।
- हैमरेज सेप्टिसीमिया बीमारी से ज्यादातर पानी भैंस, मवेशी और बाइसन (bison) को प्रभावित होते हैं।
- यह मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं में उच्च मृत्यु दर के साथ पानी भैंस (water buffalo), मवेशी और बाइसन (bison) को प्रभावित करता है। कुछ दिनों पूर्व ओडिशा के केंद्रपाड़ा में इससे बीमारी के चलते लगभग 40 भैंसों की मृत्यु हो गई थी।

4. करलापट वन्यजीव अभयारण्य

- यह वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के कालाहांडी जिले में लगभग 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव व वनस्पतियाँ (यथा-पर्णपाती वन आदि) पाई जाती हैं। वन्यजीवों में हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, छालदार हिरण, भारतीय भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, सुस्ती के लिए प्रसिद्ध है भालू, मालबार विशाल गिलहरी और पैंगोलिन हाथी, तेंदुआ, गौर, सांभर, बार्किंग डियर, भारतीय भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, भालू, मालबार विशाल गिलहरी मगरमच्छ, छिपकली, सांप और पैंगोलिन आदि यहाँ पाये जाते हैं।
- 2018 की जनगणना के अनुसार इस अभयारण्य में लगभग 17 हाथी थे।
- इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे मोर, हॉर्नबिल, रेड जंगल फाउल, पार्टरिड्स, स्पुरफॉल, हिल मैना, ब्राह्मणी पतंग आदि पाए जाते हैं।
- यहाँ के वनों में साल, बीजा, आसन, हरिदा, अमाला, बहड़ा और बांस जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ औषधीय पौधों की किस्में भी पाई जाती हैं।

03 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

2. प्रस्तावित संशोधन

- इस संशोधन के माध्यम से बच्चों के संरक्षण के ढांचे को जिलावार एवं प्रदेशवार मजबूत बनाने के उपाए किये गए हैं। इस संशोधन के माध्यम से अब जिला मजिस्ट्रेट (DM) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) हर जिले में किशोर न्याय (JJ) अधिनियम को लागू करने वाली एजेंसियों के कार्यों की निगरानी करेंगे ताकि ऐसे मामलों का तेजी से निपटाया जा सके और जवाबदेही तय की जा सके।
- इसमें बाल कल्याण समितियाँ, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ और विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयाँ शामिल हैं।
- संशोधन के तहत, किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के दायरे का विस्तार किया गया है। तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार या अभिभावकों द्वारा छोड़े गए बच्चों को "देखभाल की जरूरत वाले बच्चे" और "सुरक्षा" की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।
- अब तक बाल कल्याण समितियों (Child Welfare Committees-CWC) के सदस्य बनने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे, लेकिन अब इन संशोधनों के अनुसार, CWC का सदस्य बनने से पहले, पृष्ठभूमि और शैक्षिक योग्यता की जांच की जाएगी।
- जो भी संस्था चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चलाना चाहती है, उसे अपना मकसद राज्य सरकार को बताना होगा। प्रस्तावित संशोधनों में, CCI के रजिस्ट्रेशन से पहले, डीएम एक बाल देखभाल संस्थान (Child Care Institute) की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच करेंगे और फिर राज्य सरकार को सिफारिशें पेश करेंगे।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 ने भारतीय किशोर अपराध कानून-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की जगह ली है।
- विशेष रूप से यह अधिनियम अनाथ, छोड़ दिए गए और सरेंडर किए गए बच्चों (माता-पिता ने जिनसे अपना कानूनी अधिकार छोड़ दिया है) के घरेलू और इंटर कंट्री एडॉप्शन की व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
- एडॉप्शन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कोई बच्चा अपने दत्तक (एडॉप्टिव) माता-पिता का कानूनी बच्चा बन जाता है और इस प्रकार अपने बायोलॉजिकल माता-पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है।
- 6 अगस्त, 2018 को किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन बिल, 2018 लोकसभा में पेश किया गया था। यह बिल एडॉप्शन की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एडॉप्शन के आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है।
- एक्ट के अंतर्गत भारत या विदेश में रहने वाले भावी दत्तक (एडॉप्टिव) माता-पिता एक बार बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं तो एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश हासिल करने के लिए आवेदन देती है। अदालत अपने आदेश में कहती है कि बच्चा एडॉप्टिव माता-पिता का है।
- अगर विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को अपने किसी संबंधी के बच्चे को गोद लेना है, तो उसे अदालत से आदेश हासिल करना होता है और सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी (कारा) में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होता है।
- यह अधिनियम 16-18 वर्ष की आयु के बीच के ऐसे किशोरों के संबंध में, जो जघन्य अपराधों में शामिल हैं, यह अनुमति देता है कि उन किशोरों को वयस्कों के तौर पर आजमाया जा सकता है।
- यह अधिनियम, अभिभावक और वार्ड अधिनियम (1890) (मुसलमानों पर लागू) और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (1956), जो हिंदुओं, जैन, बौद्ध और सिख लोगों के लिए लागू है) को हटाकर, भारत के लिए एक सार्वभौमिक तौर पर सुलभ दत्तक कानून बनाने का भी प्रयास करता है। हालांकि यह उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करता है।

4. एडॉप्शन की शक्ति

- उल्लेखनीय है कि जब से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) एक्ट, 2000 लागू हुआ है, तब से एडॉप्शन के आदेश देने की शक्ति अदालत में निहित है। इसी प्रकार युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई स्टेट्स में अदालतें ही एडॉप्शन के आदेश देती हैं।

04 ग्रेटर टिपरालैंड की मांग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में त्रिपुरा के किशोर माणिक्य ने आदिवासियों, गैर-आदिवासियों, व त्रिपुरी आदिवासियों लिये एक पृथक राज्य के रूप में ग्रेटर टिपरालैंड (Greater Tipraland) की माँग की है। प्रद्योत ने कहा है कि अगर त्रिपुरा के सभी स्वदेशी आदिवासी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है तो मांग का विवरण केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

2. ग्रेटर टिपरालैंड क्या है?

- इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिये एक पृथक राज्य की माँग की जा रही है जिसे ग्रेटर टिपरालैंड नाम से संबोन्धित किया जा रहा है।
- प्रस्तावित मॉडल के तहत ग्रेटर टिपरालैंड में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) के बाहर स्वदेशी क्षेत्र या गाँव में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी व्यक्ति को शामिल करना है। हालाँकि, यह विचार केवल त्रिपुरा के आदिवासी परिषद क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों जैसे असम, मिजोरम आदि में फैले त्रिपुरियों के 'टिप्रासा' (Tiprasa) को भी शामिल करना चाहता है,गौरतलब है कि त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के चुनाव होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त टिपरलैंड राज्य पार्टी और आईपीएफटी (टिपरा) का विलय त्रिपुरा इंडीजीनस पीपुल्स रीजनल अलायंस (TIPRA) में हुआ है। ऐसे में इस नयी राजनीतिक मांग ने पूर्वोत्तर राज्य में हलचल पैदा कर दी है।

3. त्रिपुरा में जातीय राजनीति

- हाल के वर्षों में त्रिपुरा में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स (TNV), यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट (UBLF), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT), ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) जैसे विभिन्न गैरकानूनी विद्रोही संगठनों ने वहाँ की शांति व्यवस्था में अवरोध पैदा किया था। ये सभी संगठन अलग-अलग जातीय और सामुदायिक तर्ज पर राज्य के बँटवारे की मांग कर रहे थे। बिस्वामोहन देबबर्मा के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) वहाँ पर एकमात्र सक्रिय विंग है।
- 1990 में एटीटीएफ (ATTF) का गठन किया गया था, यह समूह अभी निष्क्रिय है। त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स (TNV) ने 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी के साथ एक शांति समझौते के अनुसार हथियार आत्मसमर्पण किया था।

4. त्रिपुरा में जातीय राजनीति

- त्रिपुरा में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी) 7,132.56 वर्ग किमी में फैला हुआ है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68% कवर करता है। हालांकि, राज्य की 37 लाख लोगों की आबादी में आदिवासियों की संख्या एक तिहाई शामिल है।
- त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद (TTAADC) के तहत 70 प्रतिशत भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढकी है और अधिकांश निवासी 'झूम' (स्लैश और बर्न) खेती करते हैं। आदिवासी परिषद की 28 सीटों के अलावा, राज्य विधान सभा में 20 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि आदिवासी मतदाता कम से कम 10 सीटों में एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं।
- गौरतलब है कि संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के भाग-10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं। इसी तरह से जल, जंगल, जमीन पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये पेसा (PESA) कानून भी लागू किया गया है।
- संविधान की छठी अनुसूची का संबंध असम राज्य (उत्तरी कछार पहाड़ी और कारबी आंगलोंग जिले) मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा (स्वायत्तशासी पहाड़ी परिषद) के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। इस अनुसूची में इन क्षेत्रों के, जहां स्थानीय प्रबन्ध प्रणालियों की एक लम्बी परम्परा है, प्रशासन के लिए स्वायत्तशासी जिला परिषदों और स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषदों की व्यवस्था की गई है।
- ये स्वायत्तशासी परिषदें न केवल विभिन्न विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

05 ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन में अमेरिका की वापसी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (Munich Security Conference) के दौरान घोषणा की कि 'ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन' में अमेरिका शामिल हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो बाइडेन ने कहा है कि वह अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों के साथ रिश्तों को और मजबूत करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में अमेरिका ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन से अलग हो गया था।

2. प्रमुख बिन्दु

- ट्रंप प्रशासन के तहत, यूरोपीय देशों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों के रूप में देखने, ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने और यूरोपीय देशों पर अपनी रक्षा प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ाने के उनके फैसले के कारण ट्रांस-अटलांटिक मतभेद(अटलांटिक महासागर के पार के देश) बढ़ गए थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ट्रांस-अटलांटिक के देशों के बीच तनाव घटाने और विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया।
- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रांस अटलांटिक मामलों में पारंपरिक संबंधों को दरकिनार कर, लीक से हटकर कार्रवाई करने में, यूरोप को लेकर उनकी बयानबाजी हावी रही है। इसके तहत उन्होंने, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अंतर्गत, यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ अमेरिका के आर्थिक संबंधों में संतुलन की मांग की थी। हालांकि, अनुभवजन्य साक्ष्य (Empirical evidence) यह दिखाता है कि इन बातों को लेकर ट्रंप का रिकॉर्ड वास्तव में मिश्रित रहा है। इसमें कुछ उल्लेखनीय नीति-स्तरीय उपलब्धियां और ऐसे विवाद भी शामिल हैं जो उनके कार्यकाल से पहले के थे।
- इस सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते में अमेरिका के फिर से शामिल होने, चीन और रूस द्वारा पेश आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां, कोरोना वायरस के कारण नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे भी उठाए।
- चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षा को यूरोप बड़ा खतरा नहीं मानता है जबकि अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। रूस को लेकर भी अमेरिका के रुख पर यूरोप के देशों में मतभेद है।

3. हाल के वर्षों में अमेरिका-यूरोप संबंधों में तनाव

- यूरोप द्वारा ईरान को लेकर ट्रांस-अटलांटिक हस्तक्षेप (INSTEX जैसे उपायों के माध्यम से) के चलते, और यूरोपीय संगठनों द्वारा अपने हितों की बात करने से अमेरिका नाराज हो गया था। इसके अतिरिक्त देखा जाये तो वर्ष 2020 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन अब यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
- हालाँकि अमेरिका और ब्रिटेन अब भी यूरोपीय संघ के निर्यात के सबसे बड़े बाजार बने हुए हैं। लेकिन आँकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के साथ ईयू के व्यापार में बड़ी गिरावट आई है। ये व्यापार बदले की कार्रवाई वाले विवादों की शृंखला से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण स्टील और फ्रेंच कोनियाक के साथ-साथ अमेरिकी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर शुल्क लगाया गया। वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ के साथ अमेरिका का व्यापार 671 अरब डॉलर का रहा। जबकि इससे एक साल पहले ये 746 अरब डॉलर था।
- गौरतलब है कि ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (TTIP) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और बहुपक्षीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित व्यापार समझौता था।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाटो (North Atlantic Treaty Organization-NATO) की आलोचना की, जिसे ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन का आधार माना जाता है, साथ ही पेरिस जलवायु समझौता, ईरान परमाणु समझौता आदि से स्वयं को अलग कर लिया, जिसे यूरोपीय संघ समर्थन देता था।

4. अमेरिका की घोषणा का महत्व

- अमेरिकी प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन और ईरान सहित कई प्रमुख मुद्दों पर यूरोप के साथ अपने संबंधों को तेजी से नया मोड़ दिया है।
- आर्कटिक काउंसिल में अमेरिकी हितों को बढ़ावा मिल सकता है।
- अमेरिका के ट्रांस अटलांटिक गठबंधन में शामिल होने से बहुपक्षवाद को फिर से गति मिलने की संभावना है।

5. नाटो

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 हुई थी। यह एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसे उत्तर अटलांटिक एलायंस भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके 29 सदस्य देश हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है।

06 डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट

1. चर्चा का कारण

- सरकार ने डिजिटल तरीकों से बढ़ते कारोबार व लेन देन के बीच आए दिन होने वाली धोखाधड़ी व अनचाही कॉल की रोकथाम के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (Digital Intelligence Unit) को एक नोडल एजेंसी के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- फ्रॉड मैनेजमेंट और कंज़्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिनके माध्यम से ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों के अनचाहे कॉल, एसएमएस और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे। इसके तहत ग्राहकों को अनचाहे कॉमर्शियल कॉल या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट तय समय में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को निपटाने का काम करेगी।
- TRAI की कोशिशों के बावजूद भी अनचाही कॉल्स नहीं रुकी है। ग्राहकों द्वारा डु नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) में रजिस्ट्रेशन करा दिए जाने के बावजूद उसी नंबर से लगातार कॉमर्शियल कॉल और एसएमएस आते रहते हैं।
- DIU के अलावा धोखाधड़ी प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण (TAFCOP) के लिए एक दूरसंचार विश्लेषिकी भी सभी 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र स्तरों पर स्थापित की जाएगी।
- यह टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिवेंशंस रेगुलेशन (TCCCPR) 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो भारत में 'अवांछित वाणिज्यिक संचार' (UCC) के नियमन के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा प्रदान करता है।

3. पृष्ठभूमि

- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) को आदेश दिया कि वह अनैतिक रूप से वाणिज्यिक संचार (UCC) पर अंकुश लगाने के लिए 2018 में जारी किए गए विनियमन के पूर्ण और सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।
- इससे पहले नवंबर 2020 में ट्राई ने UCC को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो इन्फोकॉम जैसी दूरसंचार कंपनियों पर 30 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया था, जो अप्रैल और जून 2020 के बीच उनके नेटवर्क पर था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले एक साल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के दुरुपयोग, पहचान की क्लोनिंग, और स्पैम से संबंधित 220 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी हालाँकि DIU इस खतरे को कम कर सकता है।
- डी.आई.यू, दूरसंचार संसाधनों से जुड़ी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जाँच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने में और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

4. लाभ

- UCC का मुद्दा दूरसंचार मंत्रालय के साथ-साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के लिए चिंता का प्रमुख क्षेत्र रहा है। UCC को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए समय-समय पर दूरसंचार ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया गया है।
- DIU के साथ, शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ एक एसएमएस-आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।
- डीआईयू प्रणाली डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत करेगी और मुख्य रूप से मोबाइल के माध्यम से वित्तीय डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगी, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
- यह सिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम में लोगों के विश्वास को मजबूत करेगा और मुख्य रूप से मोबाइल के माध्यम से सुरक्षित और विश्वसनीय वित्तीय डिजिटल लेनदेन करेगा।
- ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवा प्रदाताओं पर यूसीसी से निपटने के लिए ट्राई भी एक परामर्श पत्र के साथ आने वाला है। लॉन्च किए गए सिस्टम व्हाट्सएप जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवा प्रदाताओं पर यूसीसी के मुद्दे को संबोधित नहीं करते हैं।
- दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता नियमन, 2018 ने टेलीकॉम पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया है ताकि उपयोगकर्ताओं को अवांछित कॉल या एसएमएस के खिलाफ शिकायत करने की सुविधा मिल सके।
- हालाँकि यूसीसी के मामले में OTT सेवा प्रदाता अब तक इन नियमों की पहुँच से बाहर है।

07 ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन में तनाव

1. चर्चा का कारण

- चीन और ताइवान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव जारी है। ताइवान के अनुसार चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों ने कई बार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। ताइवान ने इसे उकसाने और धमकाने की कार्रवाई बताते हुए दोनों देशों के बीच की सीमा निर्धारित करने वाली मीडियन लाइन का सम्मान करने की मांग की है। किन्तु चीन ने इस रेखा की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी किसी रेखा का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ताइवान, चीन का अभिन्न हिस्सा है।
- बीते कुछ महीनों में चीन ने साउथ चाइना सी में दक्षिणी ताइवान और ताइवान के नियंत्रण वाले प्रतास द्वीपों के बीच वाले जलीय क्षेत्र में से नियमित उड़ाने भरी हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- हाल के सालों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ताइवान के पास चीन के सैन्य युद्धाभ्यास पर करीब से ध्यान दे रहा है और वे बीजिंग द्वारा बढ़ते सैन्य खतरे को लेकर भी हाई अलर्ट पर हैं। बीजिंग ताइवान पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करता है। दूसरी ओर ताइपे ने अमेरिका सहित लोकतांत्रिक देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला कर रहा है, जिसका बीजिंग द्वारा बार-बार विरोध किया गया है।
- नाईन डैश लाइन' के कारण दक्षिण चीन सागर में दावेदारी को लेकर चीन व ताइवान के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। वर्तमान में कई देश ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं और अमेरिका ताइवान का सबसे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा और व्यापार मित्र देश है।

3. अमेरिका की प्रतिक्रिया

- जो बाइडन प्रशासन ने चीन पर मानवाधिकार, व्यापारिक विवाद, हॉन्गकॉन्ग एवं ताइवान जैसे कई मुद्दों पर दबाव बनाए रखा हुआ है। गौरतलब है ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के साथ करीबी रिश्तों को स्थापित किया था। अमेरिका ने चीन की ओर से भारी विरोध किए जाने के बावजूद अपने अधिकारियों को ताइवान भेजा और हथियारों की बिक्री में भी इजाफा किया।
- अमेरिका, चीन की ओर से ताइवान समेत अपने पड़ोसियों को धमकाने के लिए जारी प्रयासों को बेहद चिंता के साथ देख रहा है। अमेरिका ने चीन से कहा कि वह ताइवान पर सैन्य, राजनयिक और आर्थिक दबाव डालना बंद करे और ताइवान के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ अर्थपूर्ण संवाद शुरू करे।

4. चीन और ताइवान के बीच विवाद क्यों?

- साल 1949 में चीनी सिविल वॉर खत्म होने के बाद से चीन और ताइवान में अलग-अलग सरकारें रही हैं। चीन लंबे समय से ताइवान की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है और दोनों ने प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है।
- बीते कुछ सालों में दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। चीन ने अब तक ये नहीं कहा है कि वह द्वीप को वापस पाने के लिए बल प्रयोग नहीं करेगा। हालांकि, ताइवान को कुछ चुनिंदा देशों की ओर से आधिकारिक स्वीकार्यता मिली है। लेकिन इसकी लोकतांत्रिक सरकार के कई देशों के साथ मजबूत व्यापारिक और अनौपचारिक संबंध हैं।
- दूसरे कई देशों की तरह, अमेरिका के ताइपे के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। लेकिन एक कानून के तहत अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा के लिए सहायता कर सकता है।

5. भारत-ताइवान

- भारत ने भी सीधे तौर पर कभी ताइवान को एक अलग देश नहीं माना है। इसलिए भारत की नीति भी ताइपे के साथ अनावश्यक दूरी रखने के असमंजस में घुमती रहती है लेकिन अब भारत ताइवान के साथ औपचारिक संबंधों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
- भारत ताइवान के मध्य एक उचित व्यापारिक समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। जहां ताइवान को एक भारत जैसा विस्तृत बाजार प्राप्त होगा तो वही ताइवान की कंपनियों के विनिर्माण स्थल के रूप में भारत एक शीर्ष गतवन्य स्थल हो सकता है।

6. ताइवान की भौगोलिक स्थिति

- ताइपान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है। यह द्वीप अपने आस-पास के द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है और इसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इसे मुख्य भूमि (चीनी गणराज्य) का अंग माना जाता है, लेकिन इसकी स्वायत्तता को लेकर विवाद है।
- ताइवान की राजधानी ताइपे है, जो एक वित्तीय केंद्र है। इस द्वीप पर रहने वाले लोग अमाय, स्वातोव और हक्का भाषाएं बोलते हैं। वहीं, मंदारिन राजकार्यों की भाषा है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0

प्र. गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 का पहला चरण 22 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया गया।
2. मिशन इन्द्रधनुष की शुरूआत 25 दिसम्बर 2014 को की गई थी।
3. मिशन इन्द्रधुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिजीज (वीपीडी) के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या : गहन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 का पहला चरण 22 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया गया। मिशन इन्द्रधनुष की शुरूआत 25 दिसम्बर 2014 को की गई थी। मिशन इन्द्रधुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिजीज (वीपीडी) के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल किया गया। इस तरह तीनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

02 करलापट वन्यजीव अभयारण्य

प्र. करलापट वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित है।
2. हैमरेज सेप्टिसीमिया एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या : सरकयह वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित है। हैमरेज सेप्टिसीमिया एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। अतः उत्तर (c) होगा।

03 किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस संशोधन के माध्यम से बच्चों के संरक्षण के ढांचे को जिम्मेवार एवं प्रदेशवार मजबूत बनाने के उपाय किये गये हैं।
2. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 ने भारतीय किशोर अपराध कानून-अधिनियम, 2000 की जगह ली है।
3. यह अधिनियम 16-18 वर्ष की आयु के बीच के ऐसे किशोरों के संबंध में है जो जघन्य अपराधों में शामिल हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या : इस संशोधन के माध्यम से बच्चों के संरक्षण के ढांचे को जिलावार एवं प्रदेशवार मजबूत बनाने के उपाय किये गये हैं। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 ने भारतीय किशोर अपराध कानून-अधिनियम, 2000 की जगह ली है। यह अधिनियम 16-18 वर्ष की आयु के बीच के ऐसे किशोरों के संबंध में, जो जघन्य अपराधों में शामिल हैं। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

04 ग्रेटर टिपरालैंड की मांग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) की स्थापना वर्ष 1990 में हुआ था।
2. त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद के तहत 70 प्रतिशत भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढ़की है।
3. संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) उपर्युक्त सभी (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या : ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) की स्थापना वर्ष 1990 में हुआ था। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद के तहत 70 प्रतिशत भूमि पहाड़ियों और जंगलों से ढ़की है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। अतः उत्तर (a) होगा।

05 ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन में अमेरिका की वापसी

प्र. ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है।
2. ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन की नींव पर ही अमेरिका तथा यूरोप की सामूहिक समृद्धि का निर्माण किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान घोषणा की कि ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन में अमेरिका फिर से शामिल हुआ है। ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन के संदर्भ में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट

प्र. डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सरकार ने डिजिटल तरीके से होने वाले कारोबार में धोखाधड़ी तथा अनचाही कॉल की रोकथाम के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को नोडल एजेंसी के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है।
2. फ्रॉड मैनेजमेंट और कनज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी पोर्टल बनाया गया है।
3. यह यूनिट तय समय में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को निपटाने का काम करेगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में सरकार ने डिजिटल तरीकों से बढ़ते कारोबार व लेन-देन के बीच आए दिन होने वाली धोखाधड़ी व अनचाही कॉल की रोकथाम के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को एक नोडल एजेंसी के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है। अतः उत्तर (d) होगा।

07 ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन में तनाव

प्र. ताइवान को लेकर अमेरिका- चीन में तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है।
2. ताइवान की राजधानी ताइपे है।
3. ताइवान द्वीप पर रहने वाले लोग अमाय, स्वातोव और हक्का भाषाएं बोलते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान द्वीप पर रहने वाले लोग अमाय, स्वातोव और हक्का भाषाएं बोलते हैं। इस तरह तीनों कथन सही हैं। अतः उत्तर (a) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम हेतु सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई है। विदित हो की इससे पहले भारत और पाकिस्तान ने 2003 में संघर्षविराम समझौता किया था लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शायद ही इस पर अमल हुआ।
- 2003 का युद्धविराम समझौता एक मील का पत्थर बना था क्योंकि इसने 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की थी। 2003 और 2006 के बीच, भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी।

मुख्य तथ्य

- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमा पर संघर्षविराम समझौते के उल्लंघन की कुल 10,752 घटनाएं हुईं जिनमें 72 सुरक्षाकर्मियों और 70 आम लोगों की जान गई।
- उन्होंने बताया कि 2018, 2019 और 2020 में जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं नियंत्रण रेखा के पास सीमा-पार गोलीबारी में 364 सुरक्षाकर्मी और 341 आम नागरिक घायल हुए।
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2020 में जम्मू और कश्मीर से लगती सीमा पर 2020 में संघर्षविराम उल्लंघन के 5,133 मामले हुए जो कि 2019 में संघर्ष विराम उल्लंघन की 3,479 घटनाओं के मुकाबले 47.5 फीसदी ज्यादा हैं।
- 2018 में जम्मू और कश्मीर में संघर्षविराम उल्लंघन की 2,936 घटनाएं हुईं और इनमें 61 सुरक्षाबल तथा आम नागरिक मारे गए। 2017 में इन घटनाओं की संख्या 971 रही। इस दौरान 12 आम नागरिकों और 19 सुरक्षाबल मारे गए।

चुनौतियाँ

- भारत की घरेलू राजनीति में पाकिस्तान का एक अहम मुद्दा होना भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार संघर्ष विराम के टिकाऊ होने की राह में दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला ये कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा केन्द्र सरकार की अस्पष्ट विदेश नीति है। विदित हो कि घरेलू राजनीति में पाकिस्तान के मुद्दे का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संघर्षविराम कब तक टिकेगा।
- साझा बयान में दोनों पक्षों ने मूल मुद्दों को सुलझाने की बात की है लेकिन इसे लेकर भी भ्रम पैदा हो रहा है।
- जानकारों का मानना है कि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने किस मकसद से संघर्षविराम किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से सरकार की नीति ये रही है कि पाकिस्तान से किसी तरह की बातचीत नहीं करनी है।

सुझाव

- तमाम विवादों के वाबजूद भी इस बात पर बल देना होगा कि किसी भी समस्या का बेहतर समाधान बातचीत से ही हो सकता है।
- भारत को पड़ोसी प्रथम की नीति पर आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखना होगा।

02 समलैंगिक विवाह मूल अधिकार नहीं : केन्द्र सरकार

चर्चा में क्यों

- समलैंगिक विवाह को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने अदालत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिए जाने का विरोध किया है।
- केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में शादी को एक संस्कार के रूप में माना जाता है और यह सदियों पुराने रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को लिए हुए है। ऐसे में समलैंगिक व्यक्तियों का विवाह इन सब चीजों का भी उल्लंघन करेगा। लिहाजा, इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

मुख्य तथ्य

- विदित हो कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग से संबंधित कई याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं को दाखिल करने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। ये पिछले कई सालों से पार्टनर की तरह एक साथ रह रही हैं और चाहती हैं कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिले।
- याचिका में कहा गया है कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि शादी करने का अधिकार जीवन के अधिकार की संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। शादी करने के अधिकार को मानवाधिकार चार्टर में भी जिक्र किया गया है। यह एक सार्वभौम अधिकार है और ये अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, भले ही वह समलैंगिक हो या नहीं। लैंगिक आधार पर शादी की अनुमति नहीं देना समलैंगिक लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है।
- केंद्र ने कहा है कि एक पति, एक पत्नी और बच्चे के रूप में परिवार, एक इकाई अवधारणा है जो कि एक पुरुष को श्पतिश के रूप में, एक महिला को श्पत्नीश के रूप में और उनसे पैदा हुए बच्चों के रूप जाना जाता है। केंद्र ने कहा कि समान लिंग के व्यक्तियों के विवाह के पंजीकरण से मौजूदा व्यक्तिगत के साथ-साथ संहिताबद्ध कानून का भी उल्लंघन होता है। केंद्र ने हलफनामे के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों को ही विवाह की मान्यता देने में वैध राज्य हित है।

भारत में अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं

- उल्लेखनीय है कि समलैंगिक विवाह को सेम सेक्स मैरिज भी कहते हैं जिसमें एक जेंडर वाले दो लोग आपस में शादी करते हैं, जैसे दो लड़कियां और दो लड़के आपस में शादी करते है। भारत में अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। दो साल पहले तक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध माना गया था। आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक, जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया था।
- 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को अपराध मानने से तो इनकार कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इस फैसले के अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा।

03 अंडमान और लक्षद्वीप के लिए बाथमीट्रिक अध्ययन करने की घोषणा

चर्चा में क्यों

- हाल ही में इंडियन नेशनल संेटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) ने अंडमान और लक्षद्वीप का एक बाथमीट्रिक अध्ययन करने की घोषणा की। INCOIS इन द्वीपों के आस-पास समुद्र तल की एयरलाइन मैपिंग के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) की मदद लेगा।

इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों

- इंडोनेशिया के तटों के पास आई हालिया सुनामी के मद्देनजर अध्ययन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। क्योंकि भूकंप की तुलना में पानी के नीचे भूस्खलन की घटना से उत्पन्न उच्च ज्वार के कारण नुकसान अधिक हुआ था।
- इस भूस्खलन से लोगों को सचेत होने के लिए पर्याप्त समय नही मिला जिससे की बहुत अधिक नुकसान हुआ।
- इस अध्ययन से, INCOIS समुद्र तल पर भूस्खलन वाले संवेदनशील क्षेत्रों का नक्शा तैयार करेगा।

INCOIS

- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences-MoES) के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह हैदराबाद में स्थित है जिसे वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था।
- यह निरंतर महासागरों के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को सर्वोत्तम संभव महासागरीय संबंधी जानकारी और सलाह सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- INCOIS ने समुद्र के स्तर की बेहतर निगरानी और चक्रवातों जैसी आपदाओं की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए ज्वार गेज स्थापित किए हैं। विदित हो कि इससे पहले ही बंगाल की खाड़ी में 36 ज्वारीय गेज स्थापित कर चुका है।

NRSC

- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), अंतरिक्ष विभाग (DOS) के प्राथमिक केंद्रों में से एक है। यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन के लिए जिम्मेदार है।

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन

- पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यकारी के रूप में कार्य करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य मौसम, जलवायु और जोखिम की भविष्यवाणी से संबंधित सूचना तंत्र का विकास एवं सुधार करना है, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ मिल सके।
- यह जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं जलवायु सेवाओं से संबंधित पहलुओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- यह समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन की दिशा में प्रौद्योगिकी के विकास के लिये भी जिम्मेदार है।
- इसकी चार प्रमुख शाखाएँ हैं- महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वायुमंडलीय एवं जलवायु विज्ञान, जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर।

04 कार्बन वॉच ऐप मोबाइल एप्लीकेशन

चर्चा में क्यों

- हाल ही में व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन "कार्बन वॉच" ऐप लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश है।

मुख्य तथ्य

- इसका उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को लेकर लोगों को जागरुक करना और एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट (Carbon Footprint) का आकलन करना है। इस ऐप के जरिए जाना जा सकता है कि रोजमर्रा में एक व्यक्ति कितना कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करता है।
- यह एप्लीकेशन मुख्य तौर पर व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसमें कुल चार श्रेणियों - जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन से संबंधित विवरण के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट की गणना की जाएगी।
- इस ऐप के द्वारा कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय औसत स्तर एवं व्यक्तिगत उत्सर्जन से संबंधित सूचना प्राप्त हो सकेगी।
- इस एप्लीकेशन को एंड्रॉइड स्मार्ट सेल फोन में एक क्यूआर कोड के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्बन फुटप्रिंट

- कार्बन फुटप्रिंट का मतलब किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन या ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है।
- किसी व्यक्ति द्वारा दिन, महीने या साल में जितनी कार्बन डाइआक्साइड उत्पन्न होता है , वह उस व्यक्ति का कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) होता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की सभी आदतें, जिनमें खानपान से लेकर पहने जाने वाले कपड़े तक शामिल हैं, कार्बन पदचिह्न का कारण बनते हैं।

कार्बन पदचिह्न को कम करने के उपाय

- सौर, पवन ऊर्जा के अधिक इस्तेमाल और पौधारोपण आदि से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।
- फ्लोरेसेंट बल्बों सार्वजनिक परिवहन और कार-पूल का उपयोग करके कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं।
- सामुदायिक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने वाले प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

05 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force-FATF) ने अपनी ग्रे-लिस्ट में जून तक के लिए बरकरार रखा है।

प्रमुख बिन्दु

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक, पाकिस्तान 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहा है।
- गौरतलब है कि पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ ने 27 सूत्रीय कार्रवाई योजना को निर्मित किया था, जिसे पाकिस्तान द्वारा लागू किया जाना था। लेकिन पाकिस्तान ने उल्लेखनीय ढंग से प्रयास नहीं किया हैं। खासकर पाकिस्तान रणनीतिक रूप से अहम कमियों से निपटने में असफल रहा है।
- इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकियों पर वित्तीय प्रतिबंधों को भी लगाने में प्रभावशालिता नहीं दिखाई है।
- हालाँकि एफएटीएफ की अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले की अपेक्षा सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से सूचीबद्ध आतंकियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है।
- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को स्पष्ट किया है कि उसे सभी नामित आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान को आतंकवाद का वित्तपोषण रोकने हेतु भी सख्त कदम उठाने होंगे।
- गौरतलब है कि इसके पहले पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का खतरा था। विशेषज्ञों के मुताबिक, अब पाकिस्तान काफी हद तक एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के खतरे से बाहर है। हालाँकि पाकिस्तान को अभी भी एफएटीएफ के काफी सुझावों पर काफी कुछ करना अभी बाकी है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन जुलाई 1989 में पेरिस में हुए जी 7 समिट में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना था। इसलिए इसे 'ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग' भी कहते हैं।
- वर्तमान में इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसमें कुल 39 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब को 39 वें सदस्य के रूप में पिछले वर्ष इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ऐसा पहला खाड़ी देश है जिसने इस संगठन की सदस्यता ली है।

FATF के ग्रे लिस्ट के बारे में

- एफएटीएफ द्वारा ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि अपने देश के फाइनेंसियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग होने देते हैं। इन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल कर यह संकेत दिया जाता है कि इन गतिविधियों को ना रोकने पर वे ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं।
- जब कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक इत्यादि) और देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या आती है।
- इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आती है और अर्थव्यवस्था कमजोर होती है।
- पूर्णरूप से अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।

FATF के ब्लैक लिस्ट के बारे में

- जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पूर्ण और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है; अर्थात इन देशों में मौजूद फाइनेंसियल सिस्टम की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है।

06 सौर धब्बे

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में वैज्ञानिक सौर धब्बों (Sunspots) व सौर चक्रों (Solar Cycles) के अध्ययन हेतु रिसर्च कर रहे हैं।

प्रमुख बिन्दु

- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं के साथ ही मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च, जर्मनी और साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेरिका के सहयोगियों ने एक सदी पुराने डिजिटलाइज्ड फिल्म और फोटो (Century-Old Digitalized Films and Photographs) की मदद से सौर धब्बों (सनस्पॉट) का पता लगाकर सौर परिक्रमा का अध्ययन किया है।
- वैज्ञानिकों ने डिजिटलाइज्ड पुरानी फिल्मों और फोटोग्राफ्स (Old Films and Photographs) से हासिल डाटा के द्वारा यह अनुमान लगाया है कि पिछली सदी के दौरान सूर्य ने किस तरह परिक्रमा की। इससे सूर्य के भीतरी हिस्से में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में मदद मिलेगी जो कि सौर धब्बों (सनस्पॉट) के लिए जिम्मेदार है और जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर ऐतिहासिक लघु हिमयुग (सौर धब्बों का अभाव) जैसी चरम परिस्थितियां पैदा होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह सौर चक्रों और भविष्य में इनमें आने वाले बदलावों का अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है।
- शोधार्थियों ने परिक्रमा (rotation) के मानव जनित आंकड़ों की डिजिटलाइज्ड डाटा से तुलना की और कहा कि वे पहली बार बड़े और छोटे सौर धब्बों (सनस्पॉट) के व्यवहार में अंतर कर पाने में सफल हुए हैं।
- वैज्ञानिकों के इस प्रयास से सौर चुंबकीय क्षेत्र और सौर धब्बों (सनस्पॉट)की समझ विकसित हो सकेगी तथा इससे भविष्य में सौर चक्रों का अनुमान लगाने में भी मदद मिलेगी।

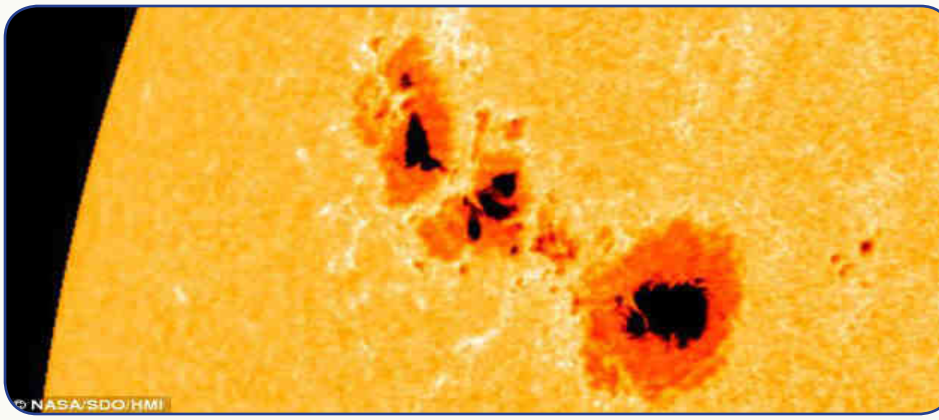
© NASA/SDO/HMI

सौरमंडल

- सूर्य, आठ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है।
- सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल से इसे बाँधे रखता है।
- सूर्य, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।

सौर धब्बे (Sunspots)

- सौर धब्बा, सूर्य की सतह पर एक बहुत ही सक्रिय स्थान है। ये सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो सौर गतिविधि से जुड़े होते हैं।
- सनस्पॉट सूर्य पर एक क्षेत्र है जो इसकी बाहरी सतह अर्थात फोटोस्फीयर (Photosphere) पर गहरा दिखाई देता है और आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा है।
- ये धब्बे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के दृश्यमान सतह हैं। कुछ धब्बे 50,000 किमी व्यास से भी बड़े होते हैं।
- सूर्य की सतह पर बनने वाले सनस्पॉट, सूर्य के अध्ययन में काफी मदद करते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के मुताबिक, सूर्य पिछले कुछ हजार सालों से शांत है, क्योंकि यहाँ निर्मित होने वाले सनस्पॉट में कमी आई है।
- दरअसल जब सनस्पॉट ज्यादा बनाते हैं तो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र काफी अधिक हो जाता है, जिससे तीव्र व जटिल सौर आंधियाँ चलती हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इससे पृथ्वी पर टेलिकाम व्यवस्था प्रभावित होती है और कृत्रिम सैटेलाइट के विनष्ट होने का खतरा बना रहता है।

सौर चक्र (Solar Cycle)

- सौर चक्र को सौर चुंबकीय गतिविधि चक्र (Solar Magnetic Activity Cycle) भी कहते हैं।
- सूर्य की गतिविधि में समय-समय पर लगभग 11 वर्ष में परिवर्तन होता है, जिसे सूर्य की बाहरी सतह (फोटोस्फीयर) पर देखे गए सौर धब्बों (सनस्पॉट) की विविधताओं के संदर्भ में मापा जाता है। इसे ही सौर चक्र कहा जाता है।
- सूर्य की सतह पर विद्युत आवेशित गैसें शक्तिशाली चुंबकीय बलों के क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं, जिसे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है।
- ये गैसें लगातार चलती रहती हैं। इस प्रकार, ये चुंबकीय क्षेत्र सौर गतिविधि के रूप में ज्ञात सतह पर खिंचाव या दबाव के कारण गति प्राप्त करते हैं।
- सौर गतिविधि सौर चक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाती है, जो औसतन 11 वर्षों तक चलती है।
- सौर चक्रों का पृथ्वी पर जीवन और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष महत्व है। वैज्ञानिक सूर्य के स्थानों का उपयोग करके एक सौर चक्र को ट्रैक करते हैं।

07 कोरोना वैक्सीन की ऐतिहासिक खेप घाना पहुँचायी गई

चर्चा में क्यों

- हाल ही में कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के प्रयासों के तहत, जीवनरक्षक कोरोनावायरस वैक्सीन की छह लाख खुराकों की खेप, घाना पहुँच गई है।

मुख्य तथ्य

- ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी और ऐस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित इन टीकों की आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में कोवेक्स पहल के अन्तर्गत पहली बार किसी देश में की गई है, जिसे ऐतिहासिक करार दिया गया है। इस पहल का लक्ष्य, सभी जरूरतमन्द देशों तक, कोविड-19 वैक्सीन का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।
- घाना भेजे गए टीकों का उत्पादन भारत के सीरम इन्स्टीट्यूट में किया गया है, और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली 'कोवैक्स पहल' के तहत ये टीके, पहली बार भारत से बाहर भेजे गए हैं।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका / ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 600,000 खुराक लेकर एक उड़ान घाना (अफ्रीकी देश) की राजधानी अक्करा पहुंची है।

मौतों की संख्या में गिरावट

- विदित हो कि विश्व भर में कोरोनावायरस संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है।
- यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया है जिसके अनुसार पिछले सप्ताह 66 हजार मौतों की पुष्टि हुई।

- संगठन का कहना है कि पश्चिमी प्रशान्त (Western Pacific) के अलावा हर क्षेत्र में मौतों के आँकड़े में कमी आई है, जबकि पश्चिमी प्रशान्त में छह फीसदी ज्यादा मौतें हुई हैं।
- कोविड-19 संक्रमणों के नए मामलों में भी छह में से चार क्षेत्रों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र में क्रमशः दो और सात फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।
- अब तक, दुनिया भर में कोरोनावायरस के 11 करोड़ से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 24 लाख लोगों की मौत हुई है।

कोवैक्स पहल

- दुनियाभर में कोविड-19 टीका बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो सके, इसके लिए वैश्विक टीका साझेदारी पहल 'कोवैक्स' ने कोविड-19 टीकों की 200 करोड़ खुराक खरीदने की व्यवस्था की है।
- इसके तहत कोवैक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका कंपनी द्वारा बनाए गए 20 करोड़ टीके खरीदेगी, जिसके लिये उसने टीके बनाने वाली संस्थाओं गावी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल ऐंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है।
- कोवैक्स ने कहा कि उसने 190 देशों के अनुरोध पर दुनियाभर में कोविड-19 टीका बनाने वाली कंपनियों और संस्थाओं से करार किया है। कोवैक्स पहल की शुरुआत अमीर या गरीब सभी देशों में तेजी से कोरोना वायरस टीके उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके तहत 2021 में दुनिया की कमजोर और मध्यम अर्थव्यवस्था वाले 92 देशों को 130 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।
- कोवैक्स का उद्देश्य वर्ष 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और विभिन्न देशों के नियामक निकायों द्वारा मान्यताप्राप्त कोविड-19 के 200 करोड़ सुरक्षित और असरदार टीके को दुनियाभर में पहुंचाना है। इस मुहिम के तहत देशों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05 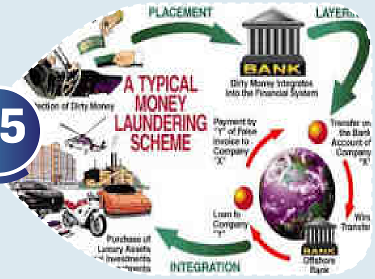

01 पेट्रोलियम एवं तेल की कीमतों में वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा की गयी प्रयासों की चर्चा कीजिए।

02 कोविड -19 ने समाज के सभी वर्गो के बीच असमानता को बढ़ाया है। विश्लेषण कीजिए।

03 आतंकवाद के मुद्दे को समझाते हुए भारतीय सन्दर्भ के साथ-साथ वैश्विक स्थिति पर प्रकाश डालिए।

04 भारतीय डेयरी उद्योग के उत्थान में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? समझाइए।

05 धन शोधन को परिभाषित करते हुए इसके प्रभाव तथा इससे निपटने के लिए भारत में बने कानूनी ढांचे की व्याख्या कीजिए।

06 भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक अवलोकन प्रस्तुत कीजिए।

07 हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को समझाते हुए, ऊर्जा वाहक के रूप में हाइड्रोजन की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 किस देश ने NAVDEX 21 (नौसेना रक्षा प्रदर्शनी) और IDEX 21 (अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी) की मेजबानी की है?

संयुक्त अरब अमीरात

02 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है?

विजय सांपला

03 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के लिए 'SKOCH मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर' अवार्ड जीता है?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी

04 किस देश की सरकार ने 'Minister of Loneliness' को नियुक्त किया है?

जापान

05 संयुक्त राष्ट्र के आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) ने किस शहर को 'ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता दी है?

हैदराबाद

06 भारत की पहली समुद्री टनल किस शहर में बनायी जा रही है?

मुम्बई

07 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार किसने जीता?

अंजली भारद्वाज

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

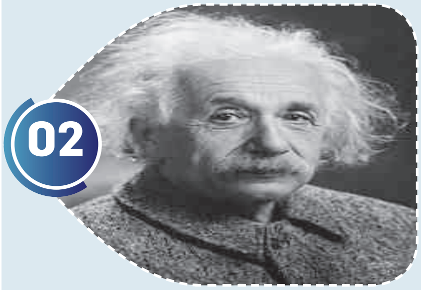

01 इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

02 जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।

अल्बर्ट आइंस्टीन

03 महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।

कन्फ्यूशियस

04 व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।

महात्मा गाँधी

05 अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिये।

नेपोलियन बोनापार्ट

06 एक सफल व्यक्ति वह है जो औरो द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईटों से एक मजबूत नींव बना सके।

डेविड ब्रिंकले

07 जब आप किसी काम की शुरुआत करें, तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें. जो लोग इमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं।

चाणक्य

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

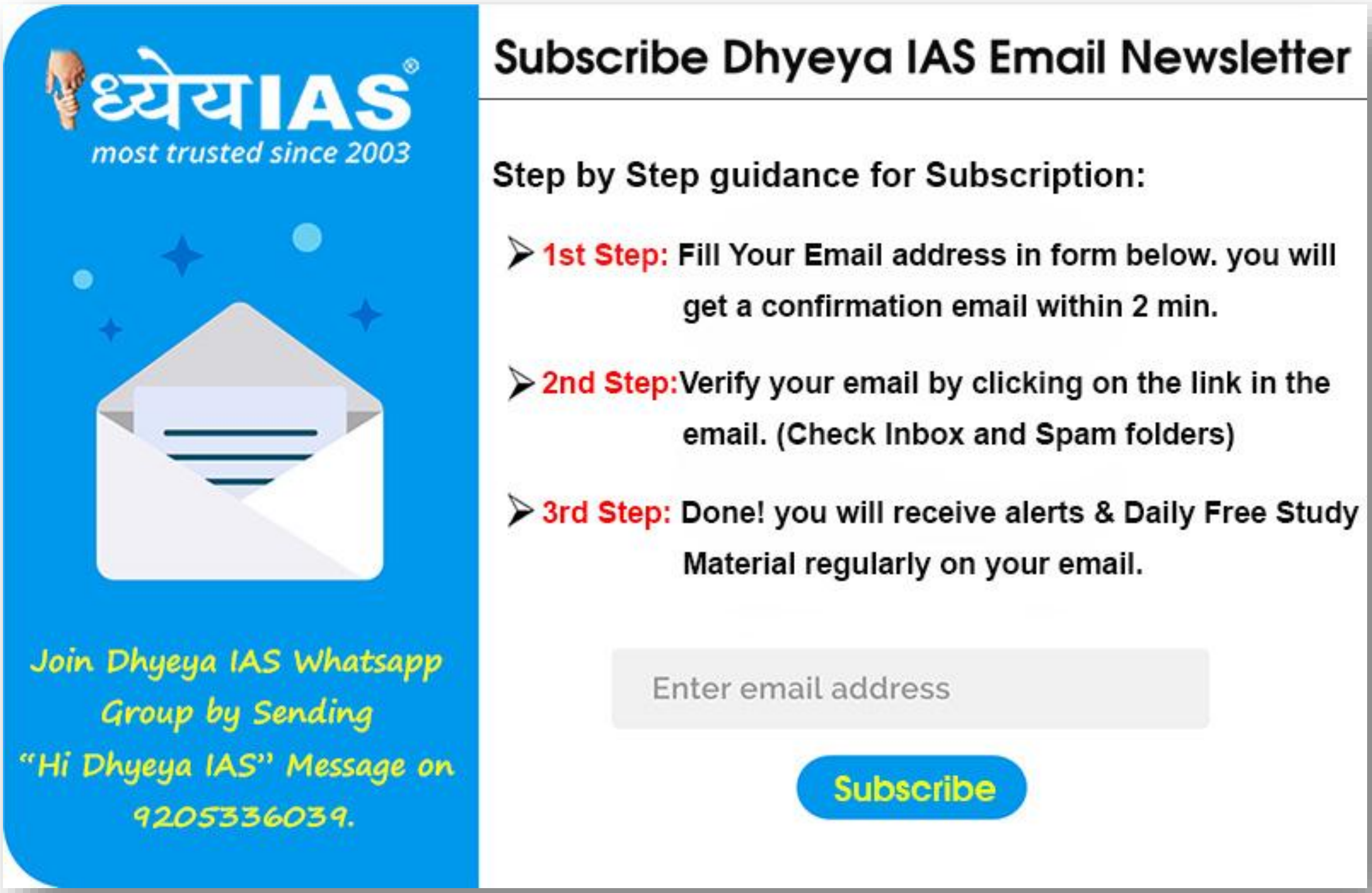

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com